अध्याय-2

विद्युत क्षेत्र - निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 2

2 विद्युत क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का कार्यचालन

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (कंपनी) को अगस्त 1997 में हरियाणा राज्य में एकीकृत और कुशल विद्युत प्रसारण नेटवर्क की योजना बनाने, स्थापित, संचालित और रख-रखाव करने के लिए निगमित किया गया था। जबकि इस निष्पादन लेखापरीक्षा का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹ 682.19 करोड़ है, कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नानुसार हैं:

मुख्यांश

कंपनी का प्रसारण घाटा 2014-15 के दौरान 2.62 प्रतिशत से घटकर 2018-19 के दौरान 2.05 प्रतिशत हो गया। कंपनी ने वर्ष 2017-19 के दौरान हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया।

(अनुच्छेद 2.6)

वर्ष 2014-19 के दौरान कंपनी द्वारा शुरू की गई 32 परियोजनाओं में से 30 को 3 से 98 माह के मध्य की देरी के साथ पूरा किया गया। इसके फलस्वरूप, इक्विटी पर रिटर्न की वसूली तथा देरी के साथ पूर्ण की गई ₹ 950.18 करोड़ मूल्य की प्रसारण संपत्तियों पर ₹ 228.02 करोड़ की राशि के मूल्यह्रास को स्थगित कर दिया गया था।

(अनुच्छेद 2.7.2.1)

कंपनी ने, 2015-18 के दौरान, हरियाणा विद्युत् विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रसारण प्रणाली उपलब्धता (टी.एस.ए.) के मानदंडों को प्राप्त नहीं किया। इसके कारण, पूर्ण प्रसारण लागत को वसूल नहीं किया जा सका । इसके अतिरिक्त राजस्व ₹ 15.51 करोड़ की सीमा तक कम हो गया।

(अनुच्छेद 2.8.3)

परियोजना के कार्यान्वयन की खराब गति के कारण, कंपनी सस्ती दरों पर उपलब्ध विश्व बैंक ऋणों का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा सकी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के साथ महँगी धन व्यवस्था का सहारा लिया, जिसकी लागत ₹ 24.63 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, कंपनी को विश्व बैंक ऋण का लाभ न उठाए गए हिस्से पर फ्रंट एंड फीस के रूप में ₹ 31.32 लाख वहन करने पड़े।

(अनुच्छेद 2.10.2)

बैंक गारंटी (बी.जी.) की शर्तों की अवहेलना करके कंपनी ने गारंटी देने वाले दो बैंकों में से एक को सभी अग्रिम भुगतान जारी कर दिए, परिणामस्वरूप, यह बी.जी. जारी करने वाले एक बैंक से ₹ 9.57 करोड़ की वसूली नहीं कर सकी।

(अनुच्छेद 2.10.5)

कंपनी द्वारा सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) को देर से प्रस्तुत करने के कारण 2014-15 से 2017-18 के लिए हरियाणा विद्युत् विनियामक आयोग द्वारा प्रसारण प्रभारों के अंतिमकरण में देरी हुई। इसके परिणामस्वरूप कंपनी लघु अवधि ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ताओं से ₹ 2.11 करोड़ के प्रसारण प्रभारों की वसूली नहीं कर सकी।

(अनुच्छेद 2.11.1)

सब-स्टेशनों और प्रसारण लाइनों की असमकालिक कमीशनिंग, प्रसारण क्षमता के कम उपयोग और मूल्यह्रास और ब्याज माफी के विरूद्ध अग्रिम के लाभ न देने से संबंधित कंपनी की अक्षमता के कारण 2014-19 के दौरान राज्य के बिजली उपभोक्ताओं पर ₹ 168.64 करोड़ का अनुचित भार पड़ा।

(अनुच्छेद 2.12.1)

प्रसारण प्रणाली उपलब्धता की अप्राप्ति, लागत लाभ विश्लेषण किए बिना सरकारी गारंटी के विरूद्ध मध्यावधि ऋण प्राप्त करने, ए.आर.आर. दाखिल करने में देरी, समय पर होल्डिंग लागत का दावा न करने और कार्यशील पूंजी मानदंडों का पालन न करने जैसी अक्षमताओं के कारण कंपनी की लाभप्रदता 2014-19 के दौरान ₹ 70.08 करोड़ तक बुरी तरह प्रभावित हो गई थी।

(अनुच्छेद 2.12.2)

2.1 प्रस्तावना

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (कंपनी) को अगस्त, 1997 में हरियाणा राज्य में एकीकृत एवं प्रभावी विद्युत प्रसारण नेटवर्क की योजना, स्थापना, संचालन एंड रख-रखाव के लिए निगमित किया गया था। अंतर्राज्यीय प्रसारण प्रणाली की आयोजना कंपनी के द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.), केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सी.टी.यू.), और उत्पादन/वितरण कंपनियों के साथ समन्वय के साथ की जाती है। विद्युत के प्रसारण के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए पूंजीगत व्यय सहित व्यय के घटकों के निर्धारण, संचालन एवं रख-रखाव, व्यय, इक्विटी पर व्यय (आर.ओ.ई.) और परिसंपतियों पर अवमूल्यन के लिए प्रतिवर्ष कंपनी द्वारा हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) को सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) प्रस्तुत करनी अपेक्षित है।

2.2 संगठनात्मक ढांचा

कंपनी का प्रबंधन हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक तीन पूर्णकालिक निदेशकों और चार अंशकालिक निदेशकों वाले निदेशक बोर्ड (बी.ओ.डी.) द्वारा किया जाता है। प्रबंध निदेशक कंपनी का मुख्य संचालक है। कंपनी का संगठनात्मक चार्ट ***परिशिष्ट 2*** में दिया गया है।

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि:

- प्रसारण परियोजनाओं की योजना अपेक्षा के अनुसार की गई और निष्पादन अधिक समय या लागत के बिना किया गया;

- प्रणाली के अधिकतम उपयोग के साथ सुचारू और निर्बाध विद्युत सुनिश्चित करने के लिए प्रसारण प्रणाली का संचालन एवं रख-रखाव मितव्ययता, दक्षता एवं प्रभाविकता के साथ किया गया;
- ग्रिड प्रबंधन तथा आपदा प्रबंधन दक्ष एवं प्रभावी था;
- कंपनी एवं डिस्कॉम्ज के मध्य प्रभावी समन्वय यंत्रावली विद्यमान थी;
- निधियों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी आर्थिक प्रबंधन विद्यमान था; तथा
- टैरिफ प्रस्ताव उपयुक्त रूप से एवं समय पर बनाए गए।

2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा परिणामों का मूल्यांकन निम्न सूत्रों से प्राप्त लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार किया जाता है:

- बिजली अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय बिजली नीति और आयोजना; सी.ई.ए. की प्रसारण आयोजना का मैनुअल, भारतीय बिजली और राज्य ग्रिड कोड;
- हरियाणा सरकार/विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.) से निर्देश और एच.ई.आर.सी./सी.ई.ए. द्वारा जारी मार्गनिर्देश;
- कंपनी की वार्षिक योजनाएं एवं परियोजना रिपोर्ट, बी.ओ.डी. मीटिंग के कार्य सूची एवं कार्यवृत और कंपनी के परिपत्र, मैनुअल और प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट; और
- संविदाओं की प्रदानगी के लिए मानक प्रक्रियाएं और एच.ई.आर.सी. को प्रस्तुत टैरिफ प्रस्ताव और इसके आदेश।

2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्य प्रणाली

कंपनी की 'प्रसारण गतिविधियों' पर पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा को 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र), हरियाणा सरकार रिपोर्ट में शामिल किया गया था। रिपोर्ट पर सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा चर्चा की गई थी जिसने अपनी 62 वीं रिपोर्ट में तीन[1] सिफारिशें शामिल कीं। कोपू द्वारा इसके अनुपालन पर बिजली निकासी लाइन के निर्माण में देरी पर सिफारिश को हटा दिया गया है। 220 के.वी. सब-स्टेशन बाटा के गैर-उपयोग पर सिफारिश अभी भी (अप्रैल 2020) लंबित थी, हालांकि अब सब-स्टेशन को उपयोग के लिए रखा गया है। हुडा दावों की वसूली में तेजी लाने के लिए कोपू की सिफारिश भी लंबित थी (अप्रैल 2020)।

नवंबर 2018 से जुलाई 2019 के दौरान की गई वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा ने 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान कंपनी के निष्पादन का आकलन किया। लेखापरीक्षा जांच में कंपनी के मुख्यालय के विभिन्न विंगों में आईडिया टूल में स्तरीय रिप्लेसमेंट के बिना रेंडम सैंपलिंग द्वारा चुने गए स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एस.एल.डी.सी.), छः ट्रांसमिशन

[1] i) इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना झज्जर की तीसरी इकाई के लिए बिजली निकासी लाइनों का विलंबित निर्माण ii) बिना लोड के 220 के.वी. सब-स्टेशन बाटा का निर्माण और iii) हुडा दावों की वसूली न करना।

सिस्टम (टी.एस.) परिमंडलों[2] में से तीन, दो सिविल मेंटेनेंस कम कंस्ट्रक्शन (सी.एम.सी.) परिमंडलों[3] में से एक और दो मीटरिंग एवं सुरक्षा परिमंडलों[4] में एक के अभिलेखों की संवीक्षा शामिल थी।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की चर्चा एंट्री कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन के साथ की गई (अप्रैल 2019)। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष प्रबंधन और हरियाणा सरकार को प्रस्तुत किए गए थे (फरवरी 2020) और इन पर एग्जिट कांफ्रेंस में चर्चा की गई (10 जून 2020) जिसमें हरियाणा सरकार के अपर मुख्य सचिव (विद्युत) और कंपनी के प्रबंध निदेशक ने भाग लिया। कंपनी और सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को संज्ञान में लेते हुए इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

2.6 प्रसारण प्रक्रिया और प्रसारण परिसंपत्तियां

प्रसारण प्रणालियों के मुख्य तत्व प्रसारण लाइनें एवं सब-स्टेशन[5] हैं जो वितरण लाईसेंसधारियों के डाउन स्ट्रीम नेटवर्क की विद्युत मांग को पूरा करते हैं। प्रसारण के समय, हानि को कम करने और दक्षता को बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत कम वोल्टेज (11 के.वी.) पर सृजित विद्युत को प्रसारण से पहले स्टेप अप किया जाता है (वोल्टेज बढ़ाया जाता है) फिर उपभोक्ताओं को वितरण से पहले कम वोल्टेज स्तर पर स्टेप डाउन कर दिया जाता है। प्रसारण प्रक्रिया का चित्रित निरूपण नीचे दिया गया है:

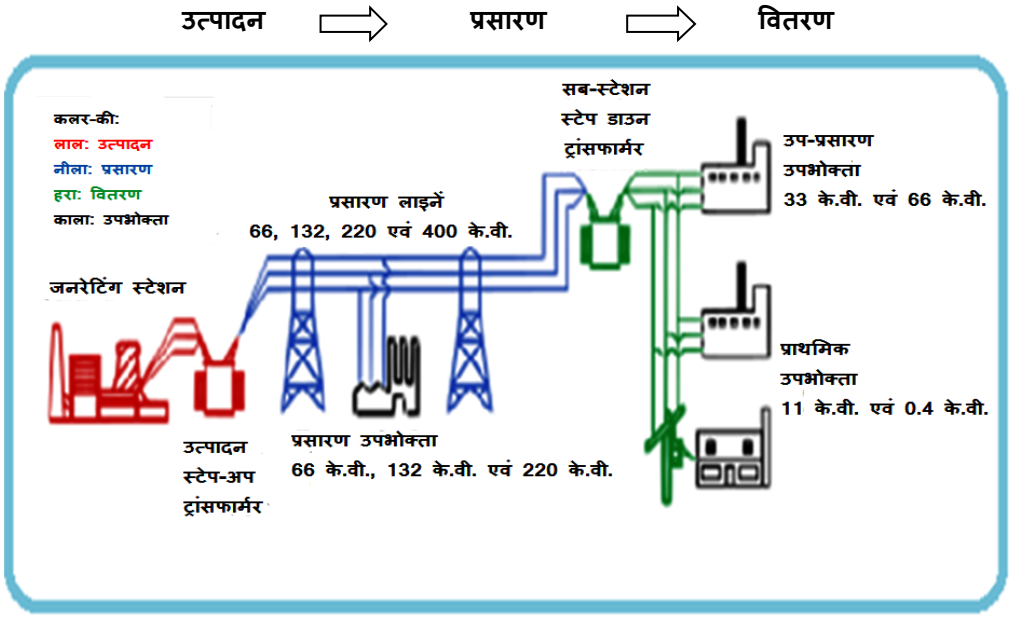

---

2 छः टी.एस. परिमंडलों फरीदाबाद, गुरूग्राम, हिसार, करनाल, पंचकूला और रोहतक में से, टी.एस. परिमंडल गुरूग्राम, हिसार और रोहतक को चुना गया था।

3 हिसार और पंचकूला में दो सी.एम.सी. परिमंडलों में से सी.एम.सी. परिमंडल हिसार को चुना गया।

4 दिल्ली और धूलकोट (अंबाला) में दो सी.एम.सी. परिमंडलों में से मीटरिंग एवं सुरक्षा परिमंडल, दिल्ली को चुना गया।

5 सब-स्टेशन वितरण ग्रिड और प्रसारण प्रणाली के मध्य अंतर्रापृष्ठ (इंटरफेस) है। वे वितरण के लिए अनुकूल स्तर पर प्रसारण लाईनों में वोल्टेज को कम करते हैं।

अनुमानित लोड वृद्धि के अनुसार बिजली की मांग में वृद्धि नए उप-स्टेशनों के निर्माण, मौजूदा उप-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि और नई प्रसारण लाइनों के बिछाने की आवश्यकता है। 2014-19 की शुरुआत में और अंत में कंपनी का प्रसारण नेटवर्क नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 2.1: 2014-19 के दौरान जोड़ी गई प्रसारण लाइनें

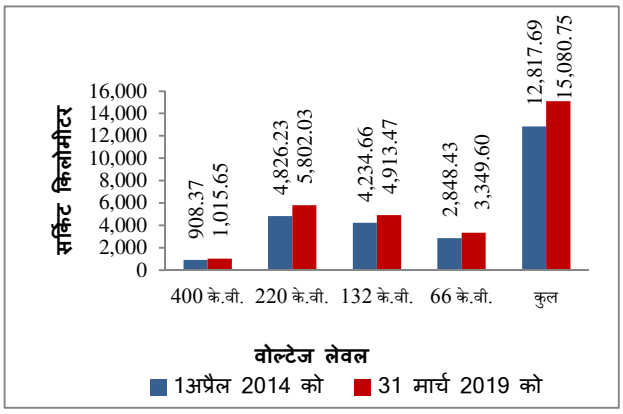

चार्ट 2.2: 2014-19 के दौरान जोड़ी गई प्रसारण क्षमता

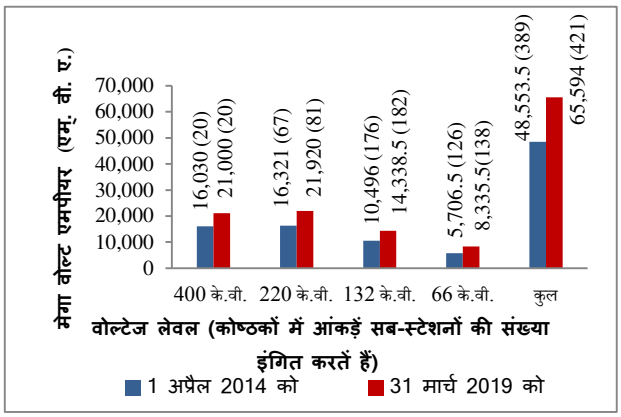

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना।

इस प्रकार, वर्ष 2014-19 के दौरान, कंपनी ने 2,263.054 सर्किट किलोमीटर[6] (15,080.747 सर्किट किलोमीटर - 12,817.693 सर्किट किलोमीटर) प्रसारण लाइनों का निर्माण किया और 32 नए सब-स्टेशनों और वर्तमान सब-स्टेशनों के संवर्धनों के माध्यम से प्रत्यावर्तन[7] क्षमता 17,040.5 एम.वी.ए. (65,594.0 एम.वी.ए. - 48,553.5 एम.वी.ए.) जोड़ा गया।

2014-19 की अवधि के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत किए गए प्रसारण हानि लक्ष्यों की तुलना में कंपनी द्वारा की गई प्राप्ति को नीचे उल्लिखित किया गया है:

तालिका 2.1: प्रसारण हानि लक्ष्यों की तुलना में प्राप्ति

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत किए गए प्रसारण हानि लक्ष्य (प्रतिशत में)	2.50	2.48	2.46	2.44	2.42
वास्तविक प्रसारण हानि (प्रतिशत में)	2.62	2.70	2.31	2.26	2.05

कंपनी का प्रसारण घाटा 2014-15 के दौरान 2.62 प्रतिशत से घटकर 2018-19 के दौरान 2.05 प्रतिशत हो गया। कंपनी ने वर्ष 2016-19 के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया।

कंपनी एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित वार्षिक दरों पर डिस्कॉम से प्रसारण शुल्क (टैरिफ) एकत्र करती है। इन प्रसारण प्रभारों को प्रसारित यूनिटों (के.डब्ल्यू.एच.) की संख्या द्वारा कुल

[6] सर्किट किलोमीटर का अर्थ है एक संपूर्ण सर्किट या डबल सर्किट प्रदान करने के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक कंडक्टर, इंसुलेटर और सहायक संरचनाओं सहित विद्युत प्रसारण या वितरण सर्किटरी का एक किलोमीटर।

[7] प्रत्यावर्तन क्षमता कंपनी के सब-स्टेशनों के सभी ट्रांसफार्मरों की कुल क्षमता है।

प्रसारण लागत से विभाजित करके परिकलित किया जाता है। प्रसारण लागत के निर्धारण के लिए कंपनी सात लागत घटकों[8] के अंतर्गत एच.ई.आर.सी. के पास याचिका दायर करती है। इसलिए, इस आधार पर कोई अनुबंध क्लेम और/ कम्पनी की असक्षमता के कारण हुई लागत में वृद्धि प्रसारण लागत को बढ़ाते हैं, परिणामस्वरूप उपभोक्तओ पर उच्च टेरिफ के रुप में अनुचित भार पड़ता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.7 परियोजना आयोजना एवं कार्यान्वयन

2.7.1 परियोजना आयोजना

प्रणाली विस्तारण की योजना ऐतिहासिक लोड डाटा के आधार पर डिस्कॉम्स द्वारा प्रक्षेपित लोड विस्तार परिदृश्य के अनुसार धीरे-धीरे की जाती है। डिस्कॉम्स के प्रस्ताव के आधार पर, कंपनी का आयोजना विंग नए सब-स्टेशनों (एस.एस.), प्रसारण लाइनों के निर्माण और वर्तमान मूलभूत संरचना के सवंर्धन को अनुमोदित करता है।

2.7.1.1 प्रसारण नेटवर्क आयोजना

2014-15 से 2018-19 के दौरान कंपनी द्वारा योजनाबद्ध एवं उपलब्धि/पूर्ण किए गए नए सब-स्टेशनों के अनुसार प्रसारण क्षमता निम्नानुसार है:

तालिका 2.2: योजनाबद्ध एवं पूर्ण किए गए सब-स्टेशनों की संख्या के वर्ष-वार विवरण

वर्ष	वर्ष के आरंभ में निर्माणाधीन एस.एस. की संख्या	वर्ष के दौरान निर्माण के लिए योजनाबद्ध अतिरिक्त एस.एस. की संख्या	समय समाप्त होने पर वर्ष के दौरान पूरा होने के लिए निर्धारित एस.एस. की संख्या	वर्ष के दौरान पूर्ण हुए एस.एस. की संख्या	अनुसूची के अनुसार वर्ष के अंत में पूर्ण न हुए एस.एस. की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=4-5**
2014-15	34	4	27	5	22
2015-16	33	4	28	9	19
2016-17	28	15	19	5	14
2017-18	38	3	15	8	7
2018-19	33	4	16	5	11
कुल		**30**		**32**	

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना।

यह अवलोकित किया गया कि

- 2014-19 के दौरान चालू किए गए सभी 32 एस.एस. उन 34 एस.एस. में से थे, जो 2014-15 के आरंभ में निर्माणाधीन थे। इन 34 में से दो[9] एस.एस. को अभी पूरा किया जाना था।

[8] (i) इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.), (ii) ऋण पर ब्याज और वित्तपोषण प्रभार, (iii) कार्यशील पूंजी पर ब्याज, (iv) मूल्यह्रास, (v) संचालन और रखरखाव खर्च, (vi) विदेशी विनिमय दर भिन्नता, (vii) आय पर करों को छोड़कर, सभी वैधानिक उद्ग्रहण एवं कर।

[9] रोज-का-मियो और एच.एस.आई.आई.डी.सी. राई।

- 2014-19 के दौरान योजनाबद्ध 30 एस.एस. में से केवल 20 एस.एस. के संबंध में कार्य प्रदान किया गया था। प्रदान किए गए 20 कार्यों में से नौ एस.एस. की निर्धारित पूर्णता तिथि 31 मार्च 2019 तक थी।

योजनाबद्ध उपलब्धियों में कमी के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने मुख्य कारणों के रूप में कार्यों के प्रदानगी और निष्पादन में देरी दर्शाई।

नीचे दी गई तालिका 2014-19 के दौरान सब-स्टेशनों के पूरा होने में देरी को दर्शाती है:

तालिका 2.3: सब-स्टेशनों की पूर्णता में देरी

महीनों में देरी	सब-स्टेशनों की संख्या
कोई देरी नहीं	2
6-11	4
12-23	5
24 एवं अधिक	21
कुल	**32**

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना।

एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित और 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए पाँच वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.4: एच.वी.पी.एन.एल. द्वारा प्रस्तावित एवं किए गए और एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत वर्ष-वार पूंजीगत व्यय

वर्ष	प्रस्तावित पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	किया गया पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	अनुमत पूंजीगत व्यय से किए गए पूंजीगत व्यय की प्रतिशतता
2014-15	1,296.30	833.70	629.68	75.52
2015-16	1,501.70	774.40	468.78	60.53
2016-17	1,036.20	718.20	462.20	64.36
2017-18	929.90	733.20	364.00	49.65
2018-19	1,131.58	792.10	788.50	99.55
कुल	**5,895.68**	**3,851.6**	**2,713.16**	**70.44**

स्रोत: एच.ई.आर.सी. के टैरिफ आदेशों से संकलित।

कंपनी परियोजना के खराब कार्यान्वयन के कारण पांच वर्षों में किसी भी वर्ष में एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत के अनुसार पूंजीगत व्यय नहीं कर सकी जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (मई 2020) कैपेक्स के कम उपयोग होने के विभिन्न कारण बताए जैसे कि भूमि का निर्धारण न होना, राइट ऑफ़ वे के मामले, वन, एन.एच.ए.आई. और रेलवे जैसे विभागों से मंजूरी तथा ठेकेदारों के खराब क्रियान्वयन के कारण परियोजनाओं के निष्पादन में देरी । हालांकि, तथ्य यह है कि अधिक समय लगने के परिणामस्वरूप अनुवर्ती वित्तीय प्रभाव उत्पन्न होंगे।

2.7.2 परियोजना कार्यान्वयन

2.7.2.1 निर्माण कार्यों की प्रदानगी एवं निष्पादन में देरी

कंपनी को अपनी संबद्ध प्रसारण लाइनों के साथ-साथ नए/संवर्धित सब-स्टेशनों के कार्यों की योजना और क्रियान्वयन करना होता है। एक सब-स्टेशन के निर्माण को कंपनी द्वारा डिस्कॉम और एच.वी.पी.एन.एल. के संबंधित फील्ड यूनिट द्वारा संयुक्त प्रस्ताव के आधार पर मंजूरी दी जाती है। एक सब-स्टेशन और लाइनों के निर्माण में सामान्यत: 12 से 15 माह का समय लगता है। सब-स्टेशन और इसकी संबद्ध लाइनों के पूर्ण होने में समय अंतराल की स्थिति में, संबद्ध परिसंपत्तियों के पूरा होने तक पूर्ण हो चुकी संपत्तियां उपयोग किए बिना रहती हैं। एच.ई.आर.सी. विनियमों के अनुसार एक एस.एस. को चालू करने/एस.एस. और संबद्ध लाइनों दोनों को चालू किए बिना प्रसारण पर पूर्ण हिस्से के संबंध में मूल्यह्रास और इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) के लाभ कंपनी को टैरिफ के माध्यम से मिलने शुरू होते हैं, यद्यपि उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति के माध्यम से लाभान्वित नहीं किया जाता है।

नीचे दिए गए चार्ट 2014-19 के दौरान कंपनी द्वारा किए गए एस.एस. और लाइनों के निर्माण में देरी और बेमेल की सीमा को दर्शाते हैं:

चार्ट 2.3: सब-स्टेशनों के निर्माण में देरी

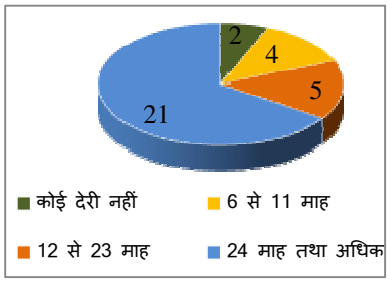

चार्ट 2.4: प्रसारण लाइनों के निर्माण में देरी

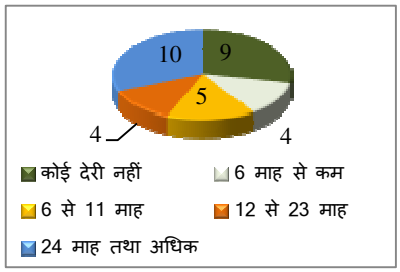

चार्ट 2.5: सब-स्टेशनों और लाइनों को चालू करने में समय अंतराल

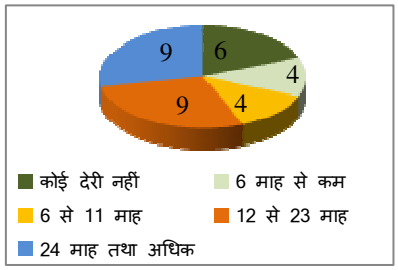

इस संबंध में, यह अवलोकित किया गया कि:

- कंपनी ने 2014-19 के दौरान 32 परियोजनाओं (एस.एस. और उनकी संबद्ध प्रसारण लाइनों को मिलाकर) को चालू किया, जिनमें से 30 को 3 से 98 माह के मध्य की देरी के साथ पूरा किया गया। लेखापरीक्षा ने प्रदानगी से पहले और प्रदानगी के बाद के चरणों पर देरी का विश्लेषण किया और पाया कि तीन से 65 माह[10] की देरी प्रदानगी से पहले के चरण में थी, एक से 62 माह की देरी निष्पादन के दौरान थी जैसाकि ***परिशिष्ट 3*** में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया था।
- एस.एस. और प्रसारण लाइनों के विलंबित और एक साथ पूरा न होने के मुख्य कारण थे (i) पूर्व-बोली गतिविधियों की पूर्णता के बिना कार्यों को शुरू करना जैसे कि विस्तृत सर्वेक्षण करना, बाधा रहित कार्य स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना, ले-आउट ड्राईंग्स को अंतिम रूप दिए बिना कार्यों की प्रदानगी तथा वन मंजूरी के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में देरी और (ii) ठेकेदारों द्वारा अनुबंध प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित न करना।

[10] प्रदानगी से पहले प्रक्रिया के लिए छ: माह की अनुमति देने के बाद।

इस तरह की देरी के परिणामस्वरूप, देरी के साथ पूर्ण की गई ₹ 950.18 करोड़ के मूल्य वाली प्रसारण संपत्तियों पर ₹ 228.02 करोड़[11] की राशि के आर.ओ.ई. और मूल्यह्रास की वसूली आस्थगित थी ***(परिशिष्ट 3)***।

- इसके अतिरिक्त, कंपनी 32 प्रसारण परियोजनाओं में से 26 में सब-स्टेशनों और संबद्ध प्रसारण लाइनों को एक साथ पूरा करने को सुनिश्चित नहीं कर सकी। एस.एस. और उनकी संबद्ध लाइनों के पूरा होने का समय अंतराल एक और 75 माह[12] ***(परिशिष्ट 3)*** के मध्य रहा, जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध कार्यों के पूरा होने तक पूर्ण परिसंपत्तियों का उपयोग नहीं किया गया। हालांकि, इन परिसंपत्तियों का उपयोग संबद्ध परिसंपत्तियों के पूरा न होने के कारण नहीं किया जा सका, एच.ई.आर.सी. ने मूल्यह्रास और उस पर इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) के कारण टैरिफ की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य उपभोक्ताओं पर बिना किसी लाभ के ₹ 43.83 करोड़ का अनावश्यक भार[13] पड़ा (संदर्भ ***परिशिष्ट 3***)। लेकिन इसी तरह के मामले में जैसाकि अनुच्छेद 2.7.2.4 में चर्चा की गई है, सी.ई.आर.सी. ने संबद्ध परिसंपत्ति के पूरा न होने के कारण टैरिफ की अनुमति नहीं दी।
- सब-स्टेशनों/लाइनों के निर्माण में देरी और बेमेल को भी कंपनी की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा[14] के दौरान इंगित किया गया था। उसमें समान प्रकृति के उदाहरण देखे गए थे और सब-स्टेशन/लाइनें अप्रयुक्त रही थी।

  विद्युत निकासी पर सब-स्टेशनों को देरी से चालू करने के प्रभाव का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा ने 2014-19 के दौरान चालू किए गए 32 एस.एस. में से 12[15] के संबंध में अभिलेखों की नमूना-जांच की। यह अवलोकित किया गया था कि इनमें से नौ सब-स्टेशन इस प्रकार के हैं, जिनमें पहले से ही विद्यमान प्रसारण प्रणाली विलंब से चालू करने की अवधि के दौरान ओवरलोडिड थी, जिसके कारण कंपनी ने अपने सिस्टम की आउटेज/क्षति को रोकने के लिए डिस्कॉम पर बिजली की कटौती की। इन विद्युत कटौतियों के परिणामस्वरूप ₹ 38.25 करोड़[16] मूल्य की 140.86 एम.यू. विद्युत की गैर-निकासी[17] हुई यद्यपि यह उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त, प्रसारण योजना और सुरक्षा मानकों के संबंध में गुणवत्ता की विद्युत (अर्थात् सुचारू और बाधा

---

11 विलंब अर्थात् निर्धारित पूर्णता तिथि से वास्तविक पूर्णता तिथि की अवधि के लिए 10.28 प्रतिशत (एच.ई.आर.सी. द्वारा परिसंपत्ति की 50 प्रतिशत लागत पर 10 प्रतिशत रिटर्न पर आर.ओ.ई. की अनुमति दी जाती है, अर्थात् 5 प्रतिशत पर और मूल्यह्रास 5.28 प्रतिशत पर) पर परिकलित।

12 संबद्ध सब-स्टेशन या लाइन को चालू करने के लिए तीन माह की अनुमति देने के बाद।

13 कंपनी द्वारा अनुसरित और एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत लेखांकन प्रणाली के अनुसार एक सब-स्टेशन या लाइन को इसके संबद्ध एस.एस./लाइनों के पूरा होने के बावजूद पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यह्रास एवं इक्विटी पर रिटर्न का लाभ टैरिफ के माध्यम से कंपनी को मिलना शुरू होता है।

14 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

15 220 के.वी. एस.एस. आर.जी.ई.सी., एच.एस.आई.आई.डी.सी. राय, बरही, भट्टूसोट्टर, हुकमावली, सेक्टर-20 गुरुग्राम, पिंजौर, ए4 फरीदाबाद, सेक्टर-6 सोनीपत, सेक्टर-33 गुरुग्राम, सेक्टर-57 गुरुग्राम और 132 के.वी. एस.एस. बारसी।

16 संबंधित वर्षों, जिनमें बिजली की गैर-निकासी के दृष्टांत देखे गए थे, के लिए एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित न्यूनतम प्रति यूनिट खुदरा आपूर्ति दरों (₹ 2.70 और ₹ 2.98 के मध्य) पर परिकलित।

17 गैर-निकासी का अर्थ है उपभोक्ताओं को बिजली की गैर-आपूर्ति, यद्यपि आपूर्ति के लिए यह ग्रिड में उपलब्ध थी।

मुक्त विद्युत) की आपूर्ति का उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सका। शेष तीन सब-स्टेशनों[18] के मामले में विद्युत आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उन क्षेत्रों में विद्युत की मांग में कमी के कारण परिकल्पित भार वृद्धि नहीं हुई।

प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि प्रदानगी से पहले की गतिविधियों के लिए समयसीमा अब निदेशक मंडल द्वारा अगस्त 2019 में अनुमोदित की गई है। एस.एस. और लाइनों के विलंबित और असमकालीन कमीशन के बारे में प्रबंधन ने बताया कि यह मुख्य रूप से ठेकेदारों के खराब निष्पादन और राइट ऑफ वे समस्याओं के कारण हुआ। कंपनी ने चूककर्ता ठेकेदारों के विरूद्ध उचित कार्रवाई नहीं की।

सब-स्टेशनों और संबद्ध लाइनों के निर्माण पर विशिष्टि अभ्युक्तियों के साथ उन मामलों में, जहां महत्वपूर्ण विलंब एवं बेमेल अवलोकित किए गए, पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.7.2.2 सोनीपत एवं राई में 220 के.वी. सब-स्टेशनों/लाईनों का उपयोग न करना

220 के.वी. सब-स्टेशन राई के लिए बनाई गई 220 के.वी. लाइनें सब-स्टेशन के निर्माण न होने के कारण शुरू से ही निष्क्रिय रहीं। 220 के.वी. सब-स्टेशन, सेक्टर 6, सोनीपत से संबद्ध लाइनों के साथ डाउनस्ट्रीम प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण निष्क्रिय रहा। कंपनी ने सेक्टर 6, सोनीपत और राई में दो 220 के.वी. सब-स्टेशनों के निर्माण को अनुमोदन दिया (जुलाई 2009)। कार्य के लिए बोलियां आमंत्रित की गईं (जुलाई 2012) और ₹ 48.38 करोड़ के लिए प्रदान की गईं (जनवरी 2014)।

- राई सब-स्टेशन की साइट को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के बावजूद, दो संबद्ध लाइनों (अर्थात, दीपालपुर-राय और झाजी-राय) के निर्माण के लिए दो अलग-अलग अनुबंध प्रदान किए गए थे (मार्च 2012 और जनवरी 2014)। लाइनें क्रमशः ₹ 42.42 करोड़ और ₹ 17.90 करोड़ की लागत से चालू की गईं थीं (मार्च 2016 और अक्तूबर 2017)। दोनों में से केवल दीपालपुर-राई लाइन का आंशिक रूप से मार्च 2019 से उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार, इन लाइनों के निर्माण पर ₹ 60.32 करोड़ का निवेश मार्च 2019/दिसंबर 2019 तक अप्रयुक्त रहा, जिसने उपभोक्ताओं पर ₹ 17.07 करोड़[19] का भार डाला क्योंकि कंपनी को इन बेकार लाइनों पर टैरिफ के माध्यम से मूल्यह्रास और आर.ओ.ई. को वसूल करने की अनुमति दी गई थी। प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि भूमि की उपलब्धता उसके नियंत्रण में नहीं थी। इस प्रकार, जब भूमि उपलब्ध नहीं थी, तो कार्य प्रदान नहीं किया जाना चाहिए था।
- ₹ 52.31 लाख का ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन एडवांस भी जारी किया गया था (नवंबर 2014), हालांकि राई एस.एस. के लिए साइट उपलब्ध नहीं थी। अग्रिम को बाद में 22 माह के बाद कार्य के अन्य भाग के लिए ठेकेदार के बिलों से समायोजित किया गया था (सितंबर 2016), जब राई सब-स्टेशन के काम को ठेकेदार के कार्य के दायरे से बाहर रखा गया था जिस पर कंपनी ने ₹ 10.41 लाख[20] की लागत का भुगतान

---

18 (i) सेक्टर 6 सोनीपत, (ii) सेक्टर 57 गुरुग्राम और (iii) सेक्टर 33 गुरुग्राम।

19 (₹ 42.42 करोड़ x 10.28 प्रतिशत x मार्च 2019 तक 3 वर्ष) + (₹ 17.90 करोड़ x 10.28 प्रतिशत x दिसंबर 2019 तक 26 माह)।

20 वर्ष 2014-15 के लिए एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत कार्यशील पूंजी पर 10.85 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 22 महीनों के लिए ₹ 52.31 लाख पर परिकलित।

किया था। चूंकि कंपनी ने एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत अपनी कार्यशील पूंजी सीमा समाप्त कर दी थी, इसलिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज के किसी भी अन्य दावे को टैरिफ में अनुमति नहीं दी गई ।

- 220 के.वी. सब-स्टेशन सेक्टर 6, सोनीपत, जिसकी पूर्णता मई 2015 में निर्धारित की गई थी, जून 2017 में (जून 2017 तक भुगतान: ₹ 19.23 करोड़) ही चालू किया जा सका, जबकि संबंधित लाइनों को दिसंबर 2016 में ₹ 4.82 करोड़ की लागत से चालू किया गया था। डाउनस्ट्रीम लोड की अनुपलब्धता, जिसे बिजली वितरण उपयोगिता द्वारा इस सब-स्टेशन के पूरा होने में देरी के कारण अन्य सब-स्टेशन के लिए डाइवर्ट किया जाना था, के कारण सब-स्टेशन और संबंधित लाइनों को क्रमशः 27 माह और 36 माह (दिसंबर 2019 तक) के लिए उपयोग करने के लिए नहीं रखा गया है। जैसा कि एच.ई.आर.सी. कंपनी को वास्तविक उपयोग के बावजूद क्षमता के आधार पर आर.ओ.ई. को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है, राज्य उपभोक्ताओं पर इन निष्क्रिय लाइनों और सब-स्टेशन के लिए ₹ 6.43 करोड़[21] का भार पड़ा है। यदि कंपनी वितरण उपयोगिता के समन्वय में काम करती, तो सब-स्टेशन और लाइनों का उपयोग किया जा सकता था।

2.7.2.3 फरीदाबाद और बल्लभगढ़ क्षेत्र में 66 के.वी. लाइनों का निर्माण

कंपनी ने फरीदाबाद और बल्लभगढ़ क्षेत्र में 66 के.वी. की आठ प्रसारण लाइनों के निर्माण कार्य ₹ 28.57 करोड़ की लागत पर मैसर्ज जी.ई.टी. विद्युत लिमिटेड चेन्नई को प्रदान किया (मार्च 2011)। कार्य 4 फरवरी 2012 तक पूर्ण किया जाना था। हालांकि, कार्य 5 साल 10 माह की देरी के बाद दिसंबर 2017 में पूर्ण हुआ। यह देखा गया कि:

- मैसर्ज जी.ई.टी. विद्युत लिमिटेड चेन्नई ने निर्धारित पूर्णता तिथि तक भी कार्य शुरू नहीं किया, जिसके लिए अभिलेख पर कोई कारण नहीं पाया गया। कंपनी ने कार्य (किए गए कार्य का कुल मूल्य ₹ 18.34 करोड़) की निराशाजनक प्रगति को देखते हुए निर्धारित पूर्णता तिथि से दो वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद मार्च 2014 में अनुबंध को समाप्त कर दिया और शेष कार्य को फर्म के जोखिम और लागत पर पूरा करने का निर्णय लिया।

- कंपनी ने मैसर्ज श्याम इंडस पॉवर सॉल्यूशन लिमिटेड को ₹ 16.70 करोड़ में शेष कार्य (अनुमानित लागत ₹ 9.12 करोड़) की प्रदानगी (जनवरी 2015) में आठ माह का समय लिया। प्रदानगी लागत अनुमानित दरों (₹ 9.12 करोड़) की तुलना में 84 प्रतिशत और उच्चतर दरों के औचित्य के बिना मैसर्ज जी.ई.टी. की पुरानी खरीद आदेश दर (₹ 10.23 करोड़) से 64 प्रतिशत अधिक थी। यह देखा गया कि कंपनी ने ऐसे मामलों में दरों की उचितता पर विचार करने के लिए कोई नीति नहीं अपनाई है, जैसाकि इसकी सहभागी कंपनियों (यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल.) द्वारा अपनाई गई है, जिनमें अपेक्षित है कि यदि उद्धृत दरें अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत से अधिक हैं तो दरों को उचित नहीं माना जाता है और बोलियों को पुन: आमंत्रित किया जाता है। इस प्रकार, दरों के औचित्य पर विचार करने के लिए किसी भी नीति को न अपनाने, उच्चतर दरों पर कार्य की प्रदानगी के कारण मैसर्ज जी.ई.टी.

[21] 36 माह के लिए ₹ 4.82 करोड़ और 30 माह के लिए ₹ 19.23 करोड़ पर 10.28 प्रतिशत की दर पर परिकलित।

से ₹ 5.44 करोड़[22] के जोखिम और लागत की वसूली के लिए कंपनी के पास कोई वित्तीय कवरेज उपलब्ध नहीं था क्योंकि कंपनी के पास उपलब्ध निष्पादन बैंक गारंटी (₹ 2.86 करोड़) और रिटेंशन मनी (₹ 1.52 करोड़) को पहले ही समायोजित किया जा चुका है।

- शेष कार्य जो जनवरी 2016 तक पूरा होना था, 22 माह से अधिक की देरी से दिसंबर 2017 में ही चालू किया जा सका। इस देरी के कारणों में मार्ग योजना के अनुमोदन, वन मंजूरी और एच.वी.पी.एन.एल. द्वारा सामग्री की आपूर्ति में असाधारण देरी थी।

प्रबंधन ने विभिन्न अनुमोदनों के लिए अनुसरित विस्तृत प्रक्रिया को स्पष्ट किया (मई 2020) लेकिन देरी के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया और उच्चतर दरों पर कार्य पुन: प्रदान किया।

2.7.2.4 पी.जी.सी.आई.एल. के 800 के.वी. हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सब-स्टेशन, भादसों, कुरुक्षेत्र से बिजली निकासी लाइनों का निर्माण

कंपनी ने आठ समर्पित बे और दो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मरों[23] को शामिल करते हुए एच.वी.पी.एन.एल. के लिए समर्पित बिजली निकासी प्रणाली पी.जी.सी.आई.एल.[24] द्वारा तैयार किए जाने के लिए 800 के.वी., एच.वी.डी.सी.[25] सब-स्टेशन, भादसों, कुरूक्षेत्र से वर्तमान 220 के.वी., पेहोवा-कौल और बसतारा-कौल डी./सी. (डबल सर्किट) लाइनों के प्रत्येक के एक सर्किट के लूप-इन लूप-आऊट (लिलो[26]) से निहित डाउनस्ट्रीम लाइनों के निर्माण को अनुमोदन दिया। हालांकि पी.जी.सी.आई.एल. ने मार्च 2017 में अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन कंपनी सितंबर 2019 में 30 महीने की देरी के बाद निकासी लाइनों को पूरा कर सकी।

यह अवलोकित किया गया था कि:

- कंपनी ने मैसर्ज आइसोलक्स इंजेनियरिया एस.ए. स्पेन को अनुमोदन की तारीख से 33 माह की अवधि के बाद ₹ 40.32 करोड़ हेतु लाइनों के निर्माण के कार्य को 18 माह अर्थात् जनवरी 2018 तक पूरा किए जाने के लिए अनुमोदन दिया (जुलाई 2016)।
- फर्म का निष्पादन शुरू से ही पिछड़ा होने के बावजूद कंपनी ने फर्म के विरूद्ध समय पर कोई कार्रवाई नहीं की। कार्य के पूर्ण बंद होने (अप्रैल 2017) के छ: माह बाद

---

22 उच्चतर दरों पर शेष कार्य की मांग के कारण चूककर्ता ठेकेदार से वसूलनीय अतिरिक्त लागत (शेष कार्य की वास्तविक पूर्णता लागत में ठेकेदार को वास्तविक भुगतान, कंपनी द्वारा आपूरित सामग्री और अन्य ठेकेदारों के माध्यम से किए गए कार्य शामिल हैं (₹ 20.05 करोड़) - शेष कार्य की लागत (₹ 10.23 करोड़) - निष्पादन बैंक गारंटी के नकदीकरण द्वारा वसूल की गई राशि (₹ 2.86 करोड़) और पहले ही वसूल की गई रिटेंशन मनी (₹ 1.52 करोड़)।

23 उच्च वोल्टेज स्तर को आगे प्रसारण/वितरण के लिए कम वोल्टेज स्तर तक ले जाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है।

24 पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम)।

25 हाई वाल्टेज डायरेक्ट करंट।

26 लूप-इन लूप-आऊट - यदि दो मौजूदा एस.एस. के बीच एक नया एस.एस. डाला जाता है, तो नए सम्मिलित एस.एस. के लिए प्रसारण लाइन को लिलो कहा जाता है या जब एक सब-स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशन के पास से गुजरने वाली प्रसारण लाइन का उपयोग इसे टैप करने के लिए किया जाता है, तो उपयोग की जाने वाली प्रणाली को लिलो कहा जाता है।

अक्तूबर 2017 में, अर्थात् अनुबंध की तारीख से 14 माह की अवधि के बाद, अनुबंध समाप्त कर दिया गया था।

- कंपनी ने शेष कार्य का आकलन करने के लिए पांच माह का समय लिया और सितंबर 2019 की अनुबंध पूर्ण होने की तारीख के साथ ₹ 46.60 करोड़ के लिए चूककर्ता फर्म के जोखिम एवं लागत पर अनुबंध प्रदान किया (मार्च 2018)। समाप्ति में देरी के कारण लागत ₹ 6.61 करोड़[27] से अधिक हो गई। हालांकि लाइनें पूरी हो चुकी हैं (सितंबर 2019) और सक्रिय, अनुबंध के अनुसार ₹ 6.96 करोड़[28] (पुन:प्रदानगी मूल्य पर आधारित) की जोखिम एवं लागत राशि अभी तक (फरवरी 2020) वसूल नहीं की जा सकी।
- अक्तूबर और दिसंबर 2016 में फर्म को दिए गए ₹ 4.03 करोड़ का ब्याज वाला अग्रिम बैंक गारंटी के नकदीकरण द्वारा वसूल किया गया तथापि, ₹ 41.76 लाख का ब्याज वसूल नहीं किया जा सका क्योंकि कंपनी ने बैंक गारंटी की राशि में ब्याज शामिल करना सुनिश्चित नहीं किया था।
- पी.जी.सी.आई.एल. की परिसंपत्तियों के हिस्से के संबंध में टैरिफ के लिए पी.जी.सी.आई.एल. के दावे पर चर्चा करते समय (टैरिफ ऑर्डर दिनांक 22 फरवरी 2018) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) ने उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए टैरिफ के लिए इनकार कर दिया (जैसा कि अनुच्छेद 2.7.2.1 में संदर्भित है)। तथापि, इसने निर्देश दिया कि पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा निर्माण अवधि के दौरान वहन किए गए ब्याज एवं आकस्मिक व्यय[29], निकासी लाइनों के पूरा होने (सितंबर 2019) तक कंपनी द्वारा वहन किए जाने चाहिए।

प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि जोखिम एवं लागत राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

2.7.2.5 220 के.वी. सब-स्टेशन रोज-का-मियो और संबद्ध लाइनों के निर्माण में देरी

कंपनी ने 220 के.वी. सब-स्टेशन सैक्टर 72, गुरूग्राम से रंगला राजपुर तक संबद्ध लिलो लाइन के साथ रोज-का-मियो पर 220 के.वी. गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन के निर्माण को अनुमोदन दिया (अप्रैल 2013)। कंपनी ने जून 2015 तक निर्धारित पूर्णता के साथ सब-स्टेशन (फरवरी 2014) और लाइनों (जनवरी 2014) के लिए अलग-अलग निर्माण कार्य प्रदान किए। हालांकि, सब-स्टेशन और लाइनें आज (दिसंबर 2019) तक पूरी नहीं हो सकीं।

यह अवलोकित किया गया था कि:

- कंपनी ने जून 2015 में पूर्णता समय-सीमा के साथ ₹ 57.35 करोड़ की लागत पर मैसर्ज आइसोलक्स इंजेनियरिया एस.ए. स्पेन को सब-स्टेशन के निर्माण का कार्य प्रदान किया (फरवरी 2014)। ठेकेदार को नवंबर 2015 तक बाधारहित स्थल प्रदान नहीं किया जा सका। फर्म का निष्पादन खराब था और इसने फरवरी 2017 में कार्य

---

27 पुन:प्रदानगी लागत ₹ 46.60 करोड़ - ₹ 39.99 करोड़ शेष कार्य की लागत।

28 कंपनी द्वारा यथा दावा की गई उच्च दरों पर शेष कार्य की मांग के कारण चूककर्ता ठेकेदार से वसूलनीय अतिरिक्त लागत।

29 पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा एच.वी.पी.एन.एल. से अब तक (अप्रैल 2020) राशि का दावा नहीं किया गया है।

बंद कर दिया। प्रदानगी से तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद अनुबंध को समाप्त कर दिया गया (अगस्त 2017)।

- कंपनी ने मैसर्ज आइसोलक्स पर ₹ 42.50 करोड़ की जोखिम और लागत पर शेष कार्य की प्रदानगी (मार्च 2019) में 19 माह का समय लिया। कार्य पूर्ण होना शेष है (दिसंबर 2019)।

- संबद्ध लाइनों के निर्माण के लिए कंपनी ने एक विषय सहित छः प्रसारण लाइनों के निर्माण के लिए अनुबंध मैसर्ज इन्सटालैसियोन्स इनाबेंसा, स्पेन को ₹ 106.65 करोड़ की लागत पर प्रदान किया (जनवरी 2014)। लेटर ऑफ क्रेडिट (एल.सी.) की ओपनिंग में विवाद और खराब प्रगति के कारण 16 माह की चूक के बाद अनुबंध को रद्द कर दिया गया (जून 2015)।

- शेष कार्य ₹ 84.50 करोड़ की लागत पर मैसर्ज आइसोलक्स इंजेनियरिया एस.ए., स्पेन (वही फर्म जिसे उप-स्टेशन के निर्माण का कार्य प्रदान किया गया था) को 13 माह की देरी के बाद प्रदान कर दिया गया (अगस्त 2016)। इस अनुबंध को भी रद्द कर दिया गया (अगस्त 2017) क्योंकि मैसर्ज आइसोलक्स ने अपनी खराब आर्थिक हालत के कारण कार्य शुरू नहीं किया था। यह अवलोकित किया गया था कि कंपनी ने अन्य देशों में लंबित प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में उनकी गतिशील परिसंपत्तियों के बारे में विचार किए बिना मैसर्ज आइसोलक्स को कार्य प्रदान कर दिया।

- कंपनी को फिर से 22 माह लगे और ₹ 107.90 करोड़ की लागत पर शेष कार्य (विषय प्रसारण लाइन सहित) प्रदान कर दिया (जुलाई 2019) जो कि प्रगति अधीन है (दिसंबर 2019)।

- सब-स्टेशन के पूरा होने में देरी के कारण ₹ 27.02 करोड़[30] के परिकल्पित लाभ की वसूली को आस्थगित कर दिया गया।

इस प्रकार, आयोजना अनुमोदन के छः वर्षों के पश्चात् भी उक्त सब-स्टेशन और प्रसारण लाइन अभी तक पूर्ण नहीं हुई (दिसंबर 2019)।

2.7.2.6 खतरनाक लाइनों की क्लीयरेंस न होना

केंद्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सुरक्षा एवं बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 विनिर्दिष्ट करता है कि विभिन्न प्रकार की प्रसारण लाइनों में न्यूनतम वर्टिकल/होरीजोंटल क्लीयरेंस/अंतर रखा जाए। यह अवलोकित किया गया था कि जब कंपनी के प्रसारण जोन[31], पंचकूला में किसी प्रसारण लाइन की खतरनाक के रूप में पहचान नहीं की गई थी, प्रसारण प्रणाली (टी.एस.) जोन हिसार में 27 लाइनें उपर्युक्त नियमों के अनुसार सांविधिक क्लीयरेंस के उल्लंघन के हिसाब से खतरनाक घोषित की गई थीं। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि कंपनी ने उल्लंघन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को नोटिस जारी किए थे किंतु इस तरह के अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से समन्वय करने में विफल रही।

---

30 जून 2015 से दिसंबर 2019 तक 55 माह के लिए 10.28 प्रतिशत की दर पर ₹ 57.35 करोड़ पर परिकलित।

31 कंपनी के पंचकूला और हिसार नामक दो प्रसारण जोन हैं, पंचकूला में करनाल, पंचकूला एवं रोहतक परिमंडल शामिल हैं और हिसार में गुरूग्राम, फरीदाबाद और हिसार परिमंडल शामिल हैं।

गत पांच वर्षों के दौरान 10 घातक और 42 अघातक हादसे[32] सूचित किए गए और कंपनी ने ₹ 43.07 लाख के मुआवजे का भुगतान किया, जिसे प्रासंगिक क्लीयरेंस नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करके जीवन बचाने के अतिरिक्त न्यूनतम किया जा सकता था। चूंकि क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रसारण लागत का हिस्सा था, इसलिए कंपनी द्वारा वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने के कारण उपभोक्ताओं पर अनुचित रूप से भार डाला गया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि नए भवन/संरचनाएं प्रसारण लाइनों के निर्माण के बाद आती हैं। कंपनी के पास कोई कानूनी शक्ति नहीं थी और अवैध निर्माणों को हटाने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। यह देखा गया कि प्रबंधन, स्थानीय प्राधिकारियों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय नहीं कर सका।

2.8 प्रसारण प्रणाली और ग्रिड प्रबंधन का निष्पादन

2.8.1 उच्च प्रसारण लागत

सब-स्टेशन का निर्माण करने से पहले, लोड वृद्धि और भविष्य में मांग की वृद्धि के साथ-साथ वोल्टेज नियमों की अनुमेय सीमा पर विचार किया जाता है, ताकि सब-स्टेशन से प्राप्त होने वाले प्रत्याशित भौतिक और वित्तीय लाभों को परिकलित किया जा सके और न्यूनतम प्रसारण लागत के लिए अनावश्यक व्यय का परिहार किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने कंपनी की प्रति यूनिट प्रसारण लागत की गत पांच वर्षों के लिए पड़ोसी राज्यों[33] पंजाब और राजस्थान में प्रसारण उपयोगिताओं के साथ तुलना[34] की, जैसा नीचे दिया गया है:

चार्ट 2.6: प्रसारण लागत की तुलना (पैसा प्रति किलोवाट घंटे में)

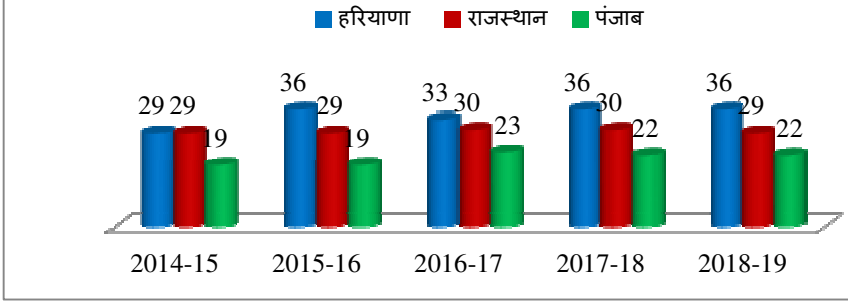

स्रोत: संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोगों के संबंधित वर्षों के टैरिफ आदेशों से संकलित।

उपर्युक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि कंपनी की प्रसारण लागत सभी तीन राज्य प्रसारण सेवाओं के मध्य अधिकतम थी। पंजाब स्टेट प्रसारण कारपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की प्रसारण लागतों की तुलना में कंपनी की प्रसारण लागत 2014-19 के दौरान क्रमश: 43 से 89 प्रतिशत और शून्य से 24 प्रतिशत उच्चतर थी।

---

[32] पंचकुला टी.एस. जोन में चार घातक और 17 साधारण हादसे और हिसार टी.एस. जोन में छ: घातक और 25 साधारण हादसे।

[33] पंजाब की प्रसारण प्रणाली में 132 के.वी. और उससे ऊपर के संस्करण शामिल हैं; हरियाणा की प्रसारण प्रणाली में 66 के.वी. और उससे ऊपर के शामिल हैं; राजस्थान में 66 के.वी. प्रसारण प्रणाली नहीं है।

[34] तुलना एक जैसे भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित एवं एक जैसे मांग पैटर्न वाले प्रदेशों के बीच की गई है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी द्वारा प्रसारण लागत को कम किया जा सकता है:

- परियोजना लागत को कम करने के लिए सब-स्टेशनों और प्रसारण लाइनों को समय पर चालूकरण सुनिश्चित करना क्योंकि परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के परिणामस्वरूप अधिक लागत, अधिक ब्याज भार और प्रशासनिक व्यय के कारण लागत अधिक हो जाती है (पैरा 2.7.2.1)।
- झज्जर केटी ट्रांसको प्राइवेट लिमिटेड (जे.के.पी.टी.एल.) को प्रोत्साहन भुगतान पर, ओ.पी.जी.डब्ल्यू. तारों को बिछाने, सब-स्टेशन ऑटोमेशन स्टेशन (एस.ए.एस.) के एकीकरण और ट्रांसफार्मरों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से मरम्मत और रखरखाव लागत को कम करके और उनकी क्षति दर को नियंत्रित करके अतिरिक्त लागत को नियंत्रित करना {अनुच्छेद 2.8.2, 2.8.4, 2.8.5 (ख) और (ग)}।
- प्रसारण लागत का हिस्सा बनने वाले पूंजीगत व्यय पर ब्याज को कम करने के लिए विश्व बैंक के सस्ते ऋण का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना (अनुच्छेद 2.10.2) ।
- रिएक्टिव ऊर्जा मुआवजे के भुगतान से बचने के लिए दोषपूर्ण कैपेसिटर बैंकों की स्थापना/प्रतिस्थापन (अनुच्छेद 2.8.6.2)।
- पूर्ववर्ती वर्षों में टैरिफ के माध्यम से पहले ही दावा किए गए मूल्यह्रास तथा ब्याज और उनकी बाद की गैर-आवश्यकता/छूट के विरुद्ध उपभोक्ता को मिलने वाले अग्रिम के लाभ (अनुच्छेद 2.11.5 (क) और (ख))।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि राजस्थान में हरियाणा की तुलना में कृषि गतिविधि में खपत कम थी। हालाँकि प्रबंधन उच्चतर प्रसारण लागत के कारणों का विश्लेषण करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए सहमत हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कृषि में बिजली की खपत का हिस्सा हरियाणा की बजाय राजस्थान में अधिक था। 2015-16 और 2016-17 के दौरान राजस्थान में यह क्रमश: 39.65 प्रतिशत और 41.86 प्रतिशत था, जबकि इसी अवधि के दौरान हरियाणा में यह 27.09 प्रतिशत और 28.14 प्रतिशत था।

2.8.2 प्रसारण क्षमता उपयोग

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) की प्रसारण आयोजना मानदंड नियमपुस्तक के अनुसार (जनवरी 2013), सब-स्टेशन में किसी भी ट्रांसफार्मर पर अधिकतम भार इसकी दरीय क्षमता का 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 20 प्रतिशत का मार्जिन भविष्य में भार वृद्धि का ध्यान रखने के लिए वांछित है। तालिका 2.5 चयनित परिमंडलों में 2014-19 के

दौरान ट्रांसफार्मर के उपयोग की सीमा को इंगित करती है:

तालिका 2.5: चयनित परिमंडलों में 2014-19 के दौरान विद्युत ट्रांसफार्मरों (पी.टी.) का वर्षवार उपयोग

वर्ष	परिमंडल का नाम	पी.टी. की संख्या और उनका उपयोग (प्रतिशत में)						कुल
		0-20	20-40	40-60	60-80	80-100	100 से अधिक	
2014-15	हिसार	12	14	23	49	139	2	239
	गुरूग्राम	18	1	16	22	86	7	150
	रोहतक	5	11	19	27	43	1	106
	कुल	**35**	**26**	**58**	**98**	**268**	**10**	**495**
	कुल पी.टी. की प्रतिशतता	**7.07**	**5.25**	**11.72**	**19.80**	**54.14**	**2.02**	**100.00**
2015-16	हिसार	8	19	22	56	138	1	244
	गुरूग्राम	13	6	19	24	86	2	150
	रोहतक	2	9	19	32	46	1	109
	कुल	**23**	**34**	**60**	**112**	**270**	**4**	**503**
	कुल पी.टी. की प्रतिशतता	**4.57**	**6.76**	**11.93**	**22.27**	**53.68**	**0.80**	**100.00**
2016-17	हिसार	8	19	29	58	138	1	253
	गुरूग्राम	8	6	16	29	94	6	159
	रोहतक	4	8	21	33	48	1	115
	कुल	**20**	**33**	**66**	**120**	**280**	**8**	**527**
	कुल पी.टी. की प्रतिशतता	**3.80**	**6.26**	**12.52**	**22.77**	**53.13**	**1.52**	**100.00**
2017-18	हिसार	6	20	28	77	127	0	258
	गुरूग्राम	10	9	17	33	114	14	197
	रोहतक	4	6	19	30	55	0	114
	कुल	**20**	**35**	**64**	**140**	**296**	**14**	**569**
	कुल पी.टी. की प्रतिशतता	**3.51**	**6.15**	**11.25**	**24.60**	**52.02**	**2.46**	**100.00**
2018-19	हिसार	10	16	22	63	149	4	264
	गुरूग्राम	13	13	27	39	110	4	206
	रोहतक	6	8	15	28	63	0	120
	कुल	**29**	**37**	**64**	**130**	**322**	**8**	**590**
	कुल पी.टी. की प्रतिशतता	**4.92**	**6.27**	**10.85**	**22.03**	**54.58**	**1.36**	**100.00**

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि अधिकांश ट्रांसफार्मर की क्षमता ओवरलोडिड थी, लेकिन कम उपयोगिता के मामले भी थे।

सब-स्टेशनों की ओवरलोडिंग

- 54 से 56 प्रतिशत ट्रांसफॉर्मर ओवरलोडिड थे (80 प्रतिशत तथा उससे ऊपर इस्तेमाल करने पर)। नए सब-स्टेशनों की धीमी निर्माण गति (जैसा कि पहले ही अनुच्छेद 2.7.1.1 और 2.7.2.1 के अंतर्गत चर्चा की गई है) इस तरह की ओवरलोडिंग का मुख्य कारण थी, जो कि इस तथ्य से और पुष्ट होती है कि 2014-19 के दौरान ट्रांसफार्मरों की क्षति दर एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत किए गए एक प्रतिशत के मानक

को पार कर गई। ट्रांसफार्मरों की क्षति दर 1.29 प्रतिशत और 2.97 प्रतिशत के मध्य रही जैसाकि नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका 2.6: कुल और क्षतिग्रस्त विद्युत ट्रांसफॉर्मरों का वर्षवार विवरण

वर्ष	पी.टी. की औसत संख्या	क्षतिग्रस्त पी.टी. की संख्या	पी.टी. की क्षति दर	एक प्रतिशत के एच.ई.आर.सी. मानदंड से ऊपर क्षतिग्रस्त पी.टी. की संख्या	आर एंड एम व्यय (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2014-15	968	27	2.79	17	8.64
2015-16	1,011	30	2.97	20	9.48
2016-17	1,049	18	1.72	8	9.80
2017-18	1,083	14	1.29	3	8.48
2018-19	1,118	23	2.06	12	13.18

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना।

ट्रांसफार्मरों की ओवरलोडिंग और उच्च क्षति दर के परिणामस्वरूप उच्च मरम्मत एवं रखरखाव व्यय और इसके फलस्वरूप उच्च प्रसारण लागत होती है। पी.टी. की क्षति दर के मानदंडों का पालन न करने को पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में भी बताया गया था, जिसमें कंपनी ने आश्वासन दिया था कि उन्होंने सख्त अनुपालन और कार्यान्वयन के लिए नए निवारक रखरखाव कार्यक्रम और दिशानिर्देश जारी किए हैं। हालांकि, कंपनी अभी भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी।

- कंपनी के 400 के.वी. सब-स्टेशन किरोड़ी में 30 जून 2017 को एक 315 एम.वी.ए., 400/220 के.वी. विद्युत ट्रांसफार्मर (₹ 9.68 करोड़ मूल्य का) क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके स्थान पर नवादा सब-स्टेशन के स्पेयर ट्रांसफार्मर को लगा दिया गया था (अक्तूबर 2017)। लेकिन कंपनी ने क्षतिग्रस्त पी.टी. की मरम्मत के लिए तुरंत कार्रवाई नहीं की जो अभी भी मरम्मत किए बिना पड़ा हुआ था (सितंबर 2019)। चूंकि नवादा सब-स्टेशन से विपथित ट्रांसफ़ॉर्मर को पी.जी.सी.आई.एल. से किराया आधार पर मई 2016 से स्थापित 250 एम.वी.ए. पी.टी., जो किराया देयता भी अर्जित कर रहा है, से बदलने के लिए रखा गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य के उपभोक्ताओं पर अनावश्यक रूप से ₹ 2.15 करोड़[35] का भार पड़ा है क्योंकि कंपनी ने टैरिफ के माध्यम से क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर के लिए मूल्यह्रास और आर.ओ.ई. की वसूली जारी रखी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि इस क्षेत्र में निष्पादन के सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 2019-20 के दौरान ट्रांसफार्मर की क्षति दर 1.3 प्रतिशत थी और चालू वर्ष के लिए कंपनी ने 1 प्रतिशत का लक्ष्य नियत किया है। हालांकि, इसने क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों की मरम्मत में देरी पर कोई टिप्पणी नहीं की।

सब-स्टेशनों की कम लोडिंग

कंपनी ने ₹ 2.04 करोड़ की लागत से सेक्टर 15-II, गुरुग्राम में 66 के.वी. एस.एस. में 47.5 एम.वी.ए. (₹ 0.58 करोड़ की लागत पर मई 2015 में 16 एम.वी.ए. तथा ₹ 1.46 करोड़ की लागत पर सितंबर 2018 में 31.5 एम.वी.ए.) की अतिरिक्त क्षमता तैयार की जो

[35] मरम्मत के लिए 120 दिन (अर्थात् अक्तूबर 2017 से दिसंबर 2019 तक) की अनुमति के बाद 26 माह के लिए ₹ 9.68 करोड़ पर 10.28 प्रतिशत की दर से परिकलित।

अप्रयुक्त रही। इसके अतिरिक्त, ₹ 12.32 करोड़ की लागत से जनवरी 2014 में 132 के.वी. गंगैचा जाट एस.एस. के विलंबित होने के कारण (मई 2011 में निर्धारित कमीशनिंग) डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने अपने दस 33 के.वी. एस.एस. में से पांच को अन्य एस.एस. से कनेक्ट किया। इसके परिणामस्वरूप, सब-स्टेशन का अभी तक (दिसंबर 2019) पूरी तरह से उपयोग नहीं जा सका और अधिकतम भार 24 से 44 प्रतिशत के मध्य रहा। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.77 करोड़ मूल्य का एक ट्रांसफॉर्मर चालू होने के बाद से अगस्त 2018 तक किसी लोड पर नहीं चल रहा था। कंपनी ने ₹ 9.63 करोड़ की लागत से नूंह में 66 के.वी. मोबाइल एस.एस. भी खरीदा (दिसंबर 2009), जो कमीशनिंग के बाद से सेवा से बाहर रहा। और 2015 से लगातार, जब यह क्षतिग्रस्त हो गया और आज तक (मार्च 2019) मरम्मत नहीं हुई है। चूंकि ट्रांसफार्मर पहले से ही पूंजीकृत था और कंपनी टैरिफ के माध्यम से आर.ओ.ई. और मूल्यह्रास अर्जित कर रही थी, इसके गैर-उपयोग ने उपभोक्ताओं पर ₹ 4.56 करोड़[36] का बोझ डाला। लोड की आवश्यकता के बिना एस.एस. (220 के.वी. एस.एस. बाटा) के निर्माण और अंतर्निहित प्रसारण प्रणाली की योजना के बारे में इसी तरह की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति भी कंपनी की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल थी, जिसमें कंपनी ने तथ्यों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि प्रसारण प्रणाली की योजना बनाते समय उचित अध्ययन किया जाएगा। हालांकि, कंपनी प्रभावी रूप से अपनी प्रसारण प्रणाली आवश्यकता की योजना नहीं बना सकी।

प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि सेक्टर 15-II, गुरुग्राम में वृद्धि को अतिरेक और विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत किया गया था, गंगैचा जाट सब-स्टेशन का कम उपयोग डी.एच.बी.वी.एन.एल. के कारण हुआ था, जिसने स्वीकृत लोड को समय पर शिफ्ट या कनेक्ट नहीं किया और मोबाइल एस.एस. की मरम्मत सितंबर 2019 में की गई थी।

उत्तर को उन तथ्यों के विरूद्ध देखा जा सकता है कि सेक्टर 15-II, गुरुग्राम में 12.5/16 एम.वी.ए. के संवर्धित ट्रांसफार्मरों में से एक को कभी भी लोड पर नहीं रखा जा सका। गंगैचा जाट एस.एस. का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका क्योंकि कंपनी की ओर से विलंब के कारण डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने अपना लोड अन्य एस.एस. में स्थानांतरित कर दिया और 2015-19 के दौरान मोबाइल एस.एस. के सेवा से बाहर रहने की टिप्पणियां प्रतीक्षित थीं।

2.8.3 प्रसारण प्रणाली उपलब्धता के लिए लक्ष्यों की अप्राप्ति

कंपनी एच.ई.आर.सी. द्वारा वर्ष-दर-वर्ष विनिर्दिष्ट नियामक वार्षिक प्रसारण प्रणाली उपलब्धता[37] (टी.एस.ए.) पर आधारित प्रसारण प्रभार वसूल करती है। 2014-19 के दौरान, यद्यपि कंपनी का टी.एस.ए. 2014-15 में 98.13 प्रतिशत से सुधरकर 2018-19 में 99.54 प्रतिशत हो गई थी, यह एच.ई.आर.सी. द्वारा पांच वर्षों में से तीन वर्षों में नियत लक्ष्य से कम रही। यह भी अवलोकित किया गया कि पूरी अवधि के दौरान कंपनी की

---

[36] सेक्टर 15 गुरुग्राम: ₹ 30.36 लाख (मार्च 2019 तक ₹ 0.58 करोड़ पर 46 माह के लिए तथा ₹ 1.46 करोड़ पर छः माह के लिए 10.28 प्रतिशत की दर पर परिकलित), 132 के.वी. गंगैचा जाट एस.एस.: ₹ 1.29 करोड़ (₹ 3.77 करोड़ पर अप्रैल 2015 (जिस तारीख से कंपनी ने मूल्यह्रास और आर.ओ.ई. का दावा किया) से जुलाई 2018 तक 3 वर्ष 4 माह के लिए 10.28 प्रतिशत की दर पर परिकलित), नूंह में 66 के.वी. मोबाइल एस.एस.: ₹ 2.97 करोड़ (₹ 9.63 करोड़ पर 3 वर्ष के लिए 10.28 प्रतिशत की दर पर परिकलित)।

[37] प्रसारण प्रणाली उपलब्धता की गणना प्रत्येक प्रसारण तत्व-वार (विद्युत ट्रांसफार्मरों, प्रसारण लाईनों, स्टैटिक वी.ए.आर. कंपेनसेटरों और बस रियेक्टरों) कुल उपलब्ध घंटों और अनुपलब्ध घंटों के आधार पर की जाती है।

टी.एस.ए. पड़ोसी राज्यों पंजाब और राजस्थान की तुलनात्मक प्रसारण सेवाओं में सबसे कम थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 2.7: एच.वी.पी.एन.एल. द्वारा टी.एस.ए. की प्राप्ति

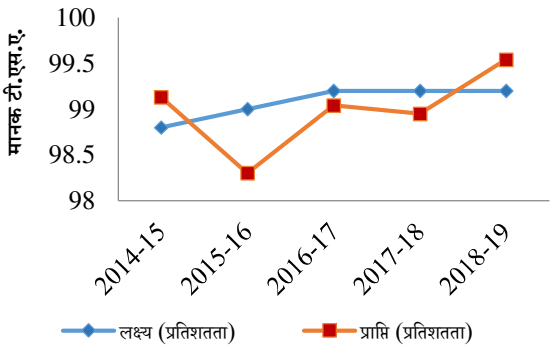

चार्ट 2.8: टी.एस.ए. की अंतर्राज्यीय तुलना

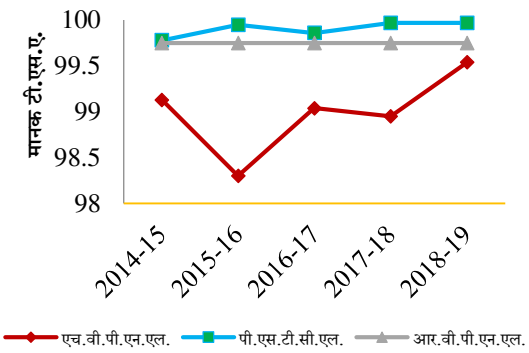

स्रोत: संबंधित राज्य बिजली विनियमन आयोगों के टैरिफ आदेशों से संकलित।

एच.ई.आर.सी. विनियमों के अनुसार, प्रसारण लागत 100 प्रतिशत मानक टी.एस.ए. लक्ष्य की उपलब्धि पर पूरी तरह से वसूल की जाती है। कम उपलब्धि के मामले में, वसूल की जाने वाली प्रसारण लागत आनुपातिक रूप से कम हो जाती है। 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान टी.एस.ए. लक्ष्यों की गैर-उपलब्धि के कारण, कंपनी पूर्ण प्रसारण लागत को वसूल नहीं कर पाई और इसका राजस्व ₹ 15.51 करोड़ की सीमा तक कम हो गया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि टी.एस.ए. लक्ष्यों की गैर-उपलब्धि का कारण ट्रांसफार्मरों की उच्च क्षति दर और उनके लंबे समय तक बंद रहना था जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेद 2.8.2 में चर्चा की गई है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन और सरकार ने 2020-21 के दौरान टी.एस.ए. में सुधार के प्रयास का आश्वासन दिया।

2.8.4 प्रोत्साहन का अनुचित भुगतान

प्रसारण लाईसेंसधारी के रूप में झज्जर के.टी. ट्रांसको प्राईवेट लिमिटेड (जे.के.टी.पी.एल.) ने 400 के.वी., झज्जर प्रसारण प्रणाली का निर्माण किया। एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित प्रसारण सेवा अनुबंध (टी.एस.ए.) के अनुसार, कंपनी को प्रणाली की उपलब्धता एवं प्रसारण हानियों के लिए प्रोत्साहन के साथ जे.के.टी.पी.एल. को लागू मासिक यूनिट-वार प्रभारों का भुगतान करना था। यह भी निर्धारण किया गया था कि कंपनी यह निश्चित करने के लिए कि प्रत्येक ट्रांसफार्मर की प्रसारण हानियां नियामक हानियों के भीतर हैं, छ: माह में कम से कम एक बार परीक्षण करे। यदि प्रसारण हानियां नियामक हानियों से कम हैं, कंपनी द्वारा ₹ 600 प्रति के.डब्ल्यू. प्रतिमास के बराबर जे.के.टी.पी.एल. को एक प्रोत्साहन का भुगतान करना अपेक्षित है जिसे प्रत्येक खाता वर्ष के लिए पांच प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।

कंपनी उसके बाद में कोई परीक्षण करवाए बिना 3,000 के.डब्ल्यू. की नियामक हानियों के विरूद्ध मई 2012 में स्वतंत्र इंजीनियर से प्रमाणित 2,780.097 के.डब्ल्यू. की ट्रांसफार्मर हानियों के आधार पर अप्रैल 2012 से प्रत्येक माह 219.903 के.डब्ल्यू. के लिए प्रोत्साहन का भुगतान कर रही थी। आवधिक जांच के बिना प्रोत्साहन का भुगतान करना उचित नहीं था

और जे.के.टी.पी.एल. के पक्ष में था। जनवरी 2013 से मार्च 2019 की अवधि के लिए कंपनी ने ₹ 1.18 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया, जो अनुचित था और प्रसारण लागत में वृद्धि हुई।

प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि विद्युत ट्रांसफार्मर हानियों के आनसाईट परीक्षण उपलब्ध नहीं थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वास्तविक प्रसारण हानियों के निर्धारण के बिना प्रोत्साहन का भुगतान न्यायोचित नहीं था।

2.8.5 ग्रिड प्रबंधन एवं एस.एल.डी.सी. की भूमिका

कुशल ग्रिड प्रबंधन जेनेरेटिंग स्टेशनों से बिजली की निर्बाध निकासी एवं डिस्कोमज/उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए अनिवार्य है जो सही समय आधार पर बिजली संतुलन सुनिश्चित करता है, बिजली प्रणाली की विश्वसनीयता, सुरक्षा, मितव्ययिता और दक्षता का ध्यान रखता है। भारत में, ग्रिड प्रबंधन सी.ई.आर.सी. द्वारा अधिसूचित भारतीय बिजली ग्रिड कोड में दिए गए मानकों/निदेशों के अनुकूल किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रिड में पाँच क्षेत्र शामिल हैं अर्थात् उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी, प्रत्येक में एक क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र (आर.एल.डी.सी.) है जो संबंधित क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के एकीकृत परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक शीर्ष निकाय है। हरियाणा राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एस.एल.डी.सी.), कंपनी के संचालन नियंत्रण[38] के अधीन, उत्तर क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र के घटक के रूप में राज्य में बिजली प्रणाली का एकीकृत परिचालन सुनिश्चित करता है। कंपनी ग्रिड अनुशासन को ग्रिड के अनुसार रखने के लिए उत्तरदायी है और विफलता के मामले में पेनल्टी के लिए उत्तरदायी है। एस.एल.डी.सी. की कार्यशैली पर अभ्युक्तियों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

(क) पर्यवेक्षीय नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण (एस.सी.ए.डी.ए.) प्रणाली और विद्युत प्रबंधन प्रणाली (ई.एम.एस.) का प्रस्थापन न किया जाना

भारत की यूनिफाईड लोड डिस्पैच एवं संचार (यू.एल.डी.सी.) स्कीम पी.जी.सी.आई.एल. के माध्यम से क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड के प्रबंधन के लिए एस.सी.ए.डी.ए./ई.एम.एस. और संचार प्रणाली प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया गया था (2002)। एस.सी.ए.डी.ए. का उत्तरी क्षेत्र में कार्यान्वयन रियल टाईम डाटा की सहायता से बेहतर विद्युत प्रबंधन में सहायता करेगा। स्कीम के घटकों में विस्तार के बारे में, उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमत हो गई, कि घटक स्कीम को स्वतंत्र रूप से चलाएंगे। तदनुसार, कंपनी ने एस.सी.ए.डी.ए./ई.एम.एस. का स्वतंत्र रूप से विस्तार करने का निर्णय लिया (2011)। तथापि, कंपनी ने 182 सब-स्टेशनों में एस.सी.ए.डी.ए. का कार्यान्वयन किया (सितंबर 2019) और 239 सब-स्टेशनों ने इसे अभी एस.सी.ए.डी.ए. प्रदान करना था। इस प्रकार, एस.सी.ए.डी.ए. प्रणाली का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। लोड की निगरानी के लिए बुनियादी ढांचे की कमी से संबंधित अभ्युक्ति को कंपनी की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में भी बताया गया था जिसमें कंपनी ने आश्वासन दिया था कि अगले तीन से पांच वर्षों में एस.एस. पर सिस्टम को प्रदान किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अपने सभी एस.एस. में वास्तविक समय भार/डाटा निगरानी की सुविधा को लागू नहीं किया था।

---

[38] राज्य सरकार ने दिसंबर 2003 में अधिसूचित किया कि एस.एल.डी.सी. का संचालन कंपनी द्वारा किया जाएगा।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि उन्हें एस.सी.ए.डी.ए. के कार्यान्वयन का कोई पिछला अनुभव नहीं था। शेष सब-स्टेशनों में एस.सी.ए.डी.ए. को लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) 220 के.वी. लाइनों का डिजाइन न बदलने के कारण परिहार्य व्यय

उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति के इस निर्णय (अप्रैल 2008) के बाद कि घटक एस.सी.ए.डी.ए./ई.एम.एस. का स्वतंत्र रूप से विस्तार करेंगे और यू.एल.डी.सी.[39] स्कीम 2002 के प्रथम चरण में ओपटिकल ग्राउंड वायर (ओ.पी.जी.डब्ल्यू.) को प्रतिस्थापित कर दिया गया, कंपनी द्वारा अप्रैल 2008 के बाद अर्थवायर के स्थान पर ओ.पी.जी.डब्ल्यू. शामिल करने के लिए लाइनों के डिजाइन में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित था।

हालांकि, कंपनी ने अप्रैल 2008 और अक्तूबर 2013 के मध्य अर्थ वायर के साथ लाइनों का निर्माण जारी रखा, जब इसने ₹ 44.66 करोड़ की कुल लागत पर 220/400 के.वी. वोल्टेज स्तर की 76 लाइनों पर 1,874 कि.मी. अर्थ वायर को ओ.पी.जी.डब्ल्यू. के साथ बदलने के लिए अनुबंध प्रदान किया। कार्य, जिसकी पूर्णता नवंबर 2015 तक निर्धारित थी, वास्तव में अप्रैल 2017 में 24 माह की देरी से पूर्ण हुआ।

यह अवलोकित किया गया था कि इन 76 लाइनों में से 21 लाइनें 500 कि.मी. अर्थ वायर के साथ 2008 के बाद निर्माण के लिए अनुमोदित की गई थी। यदि कंपनी ने इन लाइनों पर ओ.पी.जी.डब्ल्यू. वायर 2008 के बाद शुरू की होती तो यह इन अर्थ वायर को बदलने पर ₹ 4.84 करोड़[40] का व्यय बचा सकती थी और प्रसारण लागत को कम कर सकती थी।

प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि 2008 के प्रारंभिक दौर में ओ.पी.जी.डब्ल्यू. बिछाकर प्रसारण परियोजना पूरा करने के लिए ऐसी कोई मार्गनिर्देश/नीति नहीं थी और बी.ओ.डी. ने अर्थवायर की बजाय ओ.पी.जी.डब्ल्यू. बिछाने का मानकीकरण केवल मार्च 2018 में अनुमोदित किया था। कंपनी के उत्तर में औचित्य का अभाव है क्योंकि ओ.पी.जी.डब्ल्यू. बिछाना यू.एल.डी.सी. स्कीम के प्रथम चरण में शुरू हो गया था और कंपनी ने भी 2011 में यू.एल.डी.सी. स्कीम के विस्तार के कार्यान्वयन का निर्णय ले लिया था।

(ग) एस.एल.डी.सी./एन.आर.एल.डी.सी. के साथ सब-स्टेशन ऑटोमेशन प्रणाली का एकीकरण न होना

सब-स्टेशन ऑटोमेशन प्रणाली (एस.ए.एस.) के अंतर्गत, सब-स्टेशन के सभी उपकरणों की निगरानी और नियंत्रण बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सब-स्टेशन एवं एस.एल.डी.सी. से रिमोट द्वारा की जाती है। एस.ए.एस. गेटवे एक से अधिक एस.सी.ए.डी.ए. प्रणाली के माध्यम से भी लोड डिस्पैच सेंटर, बैकअप लोड डिस्पैच सेंटर और सेंट्रल कंट्रोल सेंटर के माध्यम से संचार में समर्थ है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी द्वारा चालू किए गए 56 एस.ए.एस. में से 27 एस.एल.डी.सी./ एन.आर.एल.डी.सी. के साथ एकीकृत थे और शेष 29 एस.ए.एस. के संबंध में कार्य प्रगति पर था। लेखापरीक्षा ने नमूना-जांच में आगे देखा कि कंपनी ने जुलाई 2010 और दिसंबर 2013 के मध्य एस.ए.एस. के प्रावधान के साथ 132/220 के.वी. के 12 सब-स्टेशनों को चालू किया।

---

[39] यूनिफाइड लोड डिस्पैच और संचार प्रणाली।

[40] ₹ 92,176 प्रति कि.मी. की दर पर 500 कि.मी. अर्थवायर के प्रापण के लिए ₹ 4.61 करोड़ और उतारने के लिए ₹ 4608.5 प्रति कि.मी. की दर पर ₹ 0.23 करोड़।

हालांकि, छ: वर्षों के बाद भी, इनमें से किसी भी सब-स्टेशन पर प्रतिस्थापित एस.ए.एस. को दिसंबर 2019 तक उनके एकीकरण के लिए ठेकेदार के साथ अंतिमकरण न होने के कारण एस.एल.डी.सी./एन.आर.एल.डी.सी. के साथ एकीकृत नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, इन सब-स्टेशनों में एस.ए.एस. के प्रतिस्थापन पर ₹ 12.53 करोड़ का निवेश बेकार रहा, जिससे अनुचित तरीके से प्रसारण लागत में वृद्धि हुई।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने सहमति व्यक्त की और बताया कि एस.ए.एस. को सॉफ्टवेयर मुद्दों, जिन्हें अभी हल किया जा रहा है, के कारण एस.एल.डी.सी. के साथ एकीकृत नहीं किया जा सका और एस.ए.एस.एल. को एस.एल.डी.सी. के साथ एकीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2.8.6 प्रणाली स्थिरता

प्रणाली स्थिरता, विद्युत प्रसारण प्रणाली की विद्युत के प्रवाह में अचानक, अप्रत्याशित गड़बड़ी का सामना करने की क्षमता है। विद्युत प्रणाली को सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से संचालित किया जाना चाहिए ताकि प्रणाली स्थिरता खतरे में न पड़े, जिसके लिए सब-स्टेशनों पर सुरक्षा और नियंत्रण उपकरण स्थापित किए जाते हैं। इस संबंध में देखी गई कमियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.8.6.1 बस-बार सुरक्षा पैनल का प्रावधान न किया जाना

बस-बार का प्रयोग सब-स्टेशन पर आने/जाने वाली प्रसारण लाइनों के इंटर कनैक्शन के लिए एक एप्लीकेशन के तौर पर किया जाता है। बस-बार सुरक्षा पैनल (बी.बी.पी.पी.) विद्युत नेटवर्क पर बस-बार की त्रुटियों के प्रभाव को सीमित करता है, अनावश्यक ट्रिपिंग को रोकता है और चयनित करके केवल उन ब्रेकर्ज को ट्रिप करता है जो बस-बार त्रुटि को दूर करने के लिए आवश्यक है। सी.ई.ए. (ग्रिड में कनैक्टिविटी के लिए तकनीकी मानदंड) विनियम 2007 में अपेक्षित है कि सभी नए 220 के.वी. और अधिक वोल्टेज लेवल सब-स्टेशनों पर बस-बार सुरक्षा प्रदान की जाए और इसे सभी वर्तमान सब-स्टेशनों पर एक उचित समय-सीमा में कार्यान्वित किया जाए। हरियाणा ग्रिड कोड विनियम 2009 में भी सभी 400 के.वी. और 220 के.वी. सब-स्टेशनों पर बस-बार सुरक्षा स्कीम की आवश्यकता थी।

यह अवलोकित किया गया था कि:

- नमूना-जांच किए गए तीन[41] प्रसारण परिमंडलों के अधीन 400/220 के.वी. वोल्टेज लेवल के 35 में से 22 सब-स्टेशनों पर बस-बार सुरक्षा पैनल उपलब्ध थे।
- एक सब-स्टेशन पर बस-बार सुरक्षा पैनल खराब पड़ा था (जुलाई 2019)।

अत: राज्य ग्रिड कोड और सी.ई.ए. ग्रिड कनैक्टिविटी मानदंडों की उल्लंघना में, कार्यशील बी.बी.पी.पी. अपने 220/400 के.वी. सब-स्टेशनों के 40 प्रतिशत में उपलब्ध नहीं थे जिसने ग्रिड की सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान और उत्तर में प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि शेष एस.एस. पर बस-बार सुरक्षा पैनल प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

---

[41] टी.एस. परिमंडल, रोहतक, गुरूग्राम और हिसार।

2.8.6.2 कैपेसिटरों का प्रावधान न होना

भारतीय बिजली ग्रिड कोड और राज्य ग्रिड कोड के अनुसार रिएक्टिव विद्युत की विनिर्दिष्ट सीमा से बाहर निकासी/आगमन के परिहार के लिए कम वोल्टेज सिस्टम में कैपेसिटर प्रदान किए जाने चाहिए। जब मीटरिंग बिंदु पर वोल्टेज 97 प्रतिशत से कम हो तो प्रसारण उपयोगिता रिएक्टिव विद्युत के लिए भुगतान करता है और जब वोल्टेज 103 प्रतिशत से अधिक हो तो भुगतान प्राप्त करता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2014-19 के दौरान आवश्यकता की तुलना में प्रस्थापित कैपेसिटरों की संख्या में लगातार कमी थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.7: दोषपूर्ण कैपेसिटरों और प्रदत्त/प्राप्त रिएक्टिव विद्युत मुआवजे के विवरण

वर्ष	कैपेसिटर स्थापित करने की आवश्यकता (एमवीएआर[42])	कैपेसिटर लगाए गए (एमवीएआर)	कमी (एमवीएआर)	वर्ष के अंत में दोषपूर्ण कैपेसिटर (एमवीएआर)	प्राप्त रिएक्टिव विद्युत मुआवजा (₹ करोड़ में)	प्रदत्त रिएक्टिव विद्युत मुआवजा (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)=2-3	(5)	(6)	(7)
2014-15	728.594	132.856	595.738	286.95	14.88	17.16
2015-16	887.246	243.83	643.416	361.46	19.63	13.92
2016-17	806.446	56.6	749.846	350.229	19.70	16.86
2017-18	856.246	139.06	717.186	393.395	22.50	17.59
2018-19	1,009.530	87.647	921.883	383.943	21.63	29.90
कुल					**98.34**	**95.43**

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना।

यह अवलोकित किया गया था:

- कैपेसिटरों की कमी 2014-15 में 595.738 एम.वी.ए.आर. से बढ़कर 2018-19 में 921.883 एम.वी.ए.आर. हो गई। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अवधि के दौरान खराब कैपेसिटर लगभग लगातार बढ़ते रहे और 31 मार्च 2019 को 383.943 एम.वी.ए.आर. क्षमता के कैपेसिटर (प्रस्थापित कैपेसिटरों का 7.68 प्रतिशत (4,999.485 एम.वी.ए.आर.) खराब पड़े थे।
- एच.ई.आर.सी. के निर्देशों (मार्च 2015, मई 2017 और अक्तूबर 2018) के बावजूद कंपनी को दोषपूर्ण कैपेसिटर बैंकों के प्रतिस्थापन में तेजी लाने के लिए बड़ी संख्या में बदले जाने अभी भी शेष थे।
- कैपेसिटरों की कमी के साथ-साथ दोषपूर्ण कैपेसिटरों के प्रतिस्थापन की लागत केवल ₹ 31.57 करोड़[43] थी। यदि कंपनी ने ₹ 31.57 करोड़ का निवेश किया होता तो वह 2014-19 के दौरान ₹ 95.43 करोड़ की रिएक्टिव ऊर्जा क्षतिपूर्ति के भुगतान से बच सकती थी और इस तरह प्रसारण लागत को कम कर सकती थी।

---

42 एम.वी.ए.आर. - मेगा वोल्ट एम्पीयर (रिएक्टिव)।

43 दिसंबर 2019 में कंपनी द्वारा प्रदान किए गए अनुबंध के अनुसार एम.वी.ए.आर. दर के आधार पर परिकलित।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने सहमति व्यक्त की और बताया कि पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर उपलब्ध कराने और दोषपूर्ण कैपेसिटरों को प्राथमिकता पर बदलने का प्रयास किया जा रहा है।

2.8.7 संकट/आपदा प्रबंधन योजना

विद्युत प्रणाली के संबंध में आपदा प्रबंधन का उद्देश्य प्रणाली पर एक बड़ी खराबी के प्रभाव को कम करना और न्यूनतम संभव समय में इसे पुन: बहाल करना है। एम.ओ.पी., भारत सरकार की समिति ने प्रसारण के उत्तम प्रचलन को अपडेट करने के लिए आकस्मिक पुन: चालू करने की प्रणाली लगाने के माध्यम से मुख्य खराबी के अवसर पर प्रसारण सिस्टम के तुरंत बहाल करने के लिए सभी विद्युत सेवाओं द्वारा आपदा प्रबंधन प्रणाली प्रस्थापित करना निर्धारित किया (जनवरी 2002)। इसके अतिरिक्त, एम.ओ.पी. ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप विद्युत क्षेत्र में आपदा की स्थिति पर सामंजस्य के रूप में प्रतिक्रिया के लिए संकट एवं आपदा प्रबंधन योजना भी जारी की (मार्च 2017)।

यह अवलोकित किया गया था कि कंपनी ने कोई संकट एवं आपदा प्रबंधन योजना तैयार नहीं की। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने संभावित खतरों के संबंध में 2014-19 के दौरान मॉक ड्रिल नहीं किया था। कंपनी की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान मॉक ड्रिल न करने के संबंध में मुद्दा भी इंगित गया था।

यह भी देखा गया कि एम.ओ.पी. के संकट एवं आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार, हरियाणा राज्य भौगोलिक रूप से भूकंप की आशंका वाले क्षेत्र में स्थित है। हालांकि, एस.एल.डी.सी. के लिए डाटा रिकवरी सेंटर 2014-15 से शिमला में स्थित है (हिमाचल प्रदेश के साथ द्विपक्षीय समझौते के अनुसार) जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में है अभी भी उच्च भूकंपीय जोखिम के साथ है (शिमला भूकंपीय जोन-V में है, एस.एल.डी.सी. क्षेत्र (पानीपत) भूकंपीय जोन-IV में है)। यह वांछनीय था कि डाटा रिकवरी सेंटर कम भूकंप जोखिम वाले भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हो।

प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि कंपनी ने हाल ही में (दिसंबर 2019) मॉक ब्लैक स्टार्ट अभ्यास किया है। हालांकि, हरियाणा के लिए ब्लैक स्टार्ट एक्सरसाइज के आधार पर ग्रिड सिस्टम रेस्टोरेशन डॉक्यूमेंट को कंपनी के पूर्ण कालिक निदेशकों (डब्ल्यू.टी.डी.) द्वारा अनुमोदित किया जाना अभी शेष था। प्रबंधन ने यह भी बताया कि एस.एल.डी.सी. के लिए डाटा रिकवरी सेंटर शिमला में स्थित था, जैसा कि उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति द्वारा पारस्परिक आधार पर और कंपनी द्वारा निर्धारित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी को कम भूकंपीय जोखिम वाले किसी अन्य स्थान का प्रस्ताव देना चाहिए था।

2.9 राज्य की विद्युत सेवाओं के मध्य समन्वय यंत्रावली

एक से अधिक सेवाओं वाले संगठनात्मक मामलों को प्रभावित कर सकने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिए राज्य सरकार ने प्रबंध निदेशक, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की अध्यक्षता में चार विद्युत सेवाओं के प्रबंध निदेशकों की एक समन्वय समिति का गठन किया (मई 2009)। यद्यपि समिति ने 2014-19 के दौरान 16 बैठकें आयोजित की, परन्तु यंत्रावली प्रभावी नहीं पाई गई क्योंकि निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान समन्वय के अभाव के मामले देखे गए।

कंपनी और डी.एच.बी.वी.एन.एल. के प्रबंधन ने बलियार कलां (रेवाड़ी) में एक 33 के.वी. कनेक्टिविटी और एक 11 के.वी. कनेक्टिविटी के साथ दो ट्रांसफार्मरों वाले नए 66 के.वी. सब-स्टेशन की स्थापना का निर्णय लिया (मई 2008)। तथापि, कंपनी ने केवल 11 के.वी. कनेक्टिविटी वाले दो ट्रांसफार्मरों के साथ सब-स्टेशन के निर्माण को अनुमोदन दिया (जुलाई 2008) और जुलाई 2013 में सब-स्टेशन को ₹ 7.91 करोड़ की लागत से चालू किया और डी.एच.बी.वी.एन. को इस पर लोड शिफ्ट करने का अनुरोध किया।

33 के.वी. कनेक्टिविटी उपलब्ध न होने के कारण, अब तक (दिसंबर 2019) केवल 6 एम.वी.ए. (18.75 प्रतिशत) लोड को कनैक्ट किया जा सका (32 एम.वी.ए. की क्षमता के विरुद्ध)। डी.एच.बी.वी.एन. ने बताया (दिसंबर 2018) कि उसका 33 के.वी. सब-स्टेशन गढ़ी बोलिनी भी सब-स्टेशन पर 33 के.वी. कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होने के कारण चालू नहीं किया जा सका। यदि इसने बलियार कलां से 33 के.वी. कनेक्टिविटी प्रदान की होती, तो 33 के.वी. रेवाड़ी-जोनवास लाइन को ₹ 2.33 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ स्थानांतरित करने की बाध्यता से भी बचा जा सकता था। इस प्रकार, विद्युत उपयोगिताओं के मध्य समन्वय के अभाव के परिणामस्वरूप सब-स्टेशन का पूर्ण प्रयोग नहीं किया जा सका और हरियाणा के उपभोक्ताओं पर ₹ 3.74 करोड़[44] का बोझ पड़ा।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए बताया कि 66/11 के.वी. ट्रांसफार्मर की बजाय गलती से 66/33 के.वी. ट्रांसफार्मर के सब-स्टेशन को मंजूरी दे दी गई थी क्योंकि एच.वी.पी.एन.एल. 66/33 के.वी. सब-स्टेशन प्रदान नहीं करता है। हालांकि, सब-स्टेशन का उपयोग करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

2.10 वित्तीय प्रबंधन

2.10.1 वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

कंपनी के गत पांच वर्षों से 2018-19 तक वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम ***परिशिष्ट-4*** में इंगित किए गए हैं जो दर्शाते हैं कि:

- कंपनी ने 2014-15 के दौरान हानि उठाई। इसने चार वर्षों (2015-16 से 2018-19) के दौरान राजस्व में वृद्धि और कम उधारी से वित्तीय लागत में कमी के कारण ₹ 1,327.12 करोड़ का लाभ कमाया।
- वित्तीय सुधार के कारण नियोजित पूंजी पर रिटर्न 2014-15 में 5.49 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 12.42 प्रतिशत हो गया। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा निवेश के कारण 2018-19 में यह घटकर 9.97 प्रतिशत हो गया, जिसके परिणामस्वरूप इक्विटी पूंजी में वृद्धि हुई;
- ऋण इक्विटी अनुपात 2014-15 में 2.69 से ऋणों में कमी और इक्विटी पूंजी में वृद्धि के कारण 2018-19 में कम होकर 1.26 हो गया।

लेखापरीक्षा ने निधियों के समय पर प्रापण में दक्षता और उनके अधिकतम प्रयोग के संदर्भ में कंपनी में वित्तीय प्रबंधन का परीक्षण किया। इस बारे में पाई गई अभ्युक्तियों पर चर्चा आगामी अनुच्छेद में की गई है।

[44] समानुपातिक बेकार निवेश पर 68 माह के लिए 10.28 प्रतिशत की दर पर परिकलित।

2.10.2 विश्व बैंक ऋण के कम उपयोग के कारण हानि

हरियाणा विद्युत प्रणाली सुधार आरंभ करने के लिए हरियाणा विद्युत उपयोगिताओं ने तीन घटकों[45] के अंतर्गत लंदन इंटर बैंक आफर्ड रेट जमा 0.4 प्रतिशत की ब्याज दर पर यू.एस.डी. 250 मिलियन (₹ 1,250 करोड़) के ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए (अगस्त 2009)। ऋण के संवितरण की अवधि 2009-10 से 2013-14 तक थी और पुनर्भुगतान अवधि 30 वर्ष थी। ऋण अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, ऋण राशि के 0.25 प्रतिशत के बराबर फ्रंट एंड फीस विश्व बैंक को देय थी।

- खरीद योजना के तीन बार (अगस्त 2012, सितंबर 2012 और जून 2013) संशोधन और विश्व बैंक द्वारा अगस्त 2013, अप्रैल 2017 के बाद 31 दिसंबर 2017 तक और 30 अप्रैल 2018 तक संवितरण के लिए अनुग्रह अवधि में ऋण संवितरण अवधि के विस्तार के बावजूद कंपनी ने अक्तूबर 2009 और दिसंबर 2017 के दौरान 250 मिलियन यू.एस.डी. में से 222.83 मिलियन यू.एस.डी. के ऋण का लाभ उठाया जबकि 27.17 मिलियन[46] यू.एस.डी. (₹ 173.84 करोड़[47]) का लाभ नहीं उठाया गया क्योंकि 24 पैकेज के अंतर्गत सभी 130 निर्माण कार्य देरी के साथ पूर्ण हुए। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कंपनी विश्व बैंक के ऋणों का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा सकी, क्योंकि खरीद योजना में संशोधन नहीं करने और अनुबंधों को फिर से प्रदान करने में देरी हुई, जहां ठेकेदार विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहे।
- यह अवलोकित किया गया था कि तीन मामलों[48] (24 मामलों में से) में शुरू में विश्व बैंक की निधियों से ₹ 167.07 करोड़ का कार्य प्रदान किया गया था, कंपनी ने चूककर्ता ठेकेदारों के विरूद्ध समय पर कार्रवाई नहीं की और विश्व बैंक की निधियों के साथ समय पर कार्यों को फिर से प्रदान किया। बाद में ये कार्य महँगी निधि व्यवस्था के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) को प्रदान किए गए थे। यदि कंपनी ने समय पर कार्यों को फिर से प्रदान किया होता, तो इससे ₹ 24.63 करोड़[49] की बचत हो सकती थी और प्रसारण लागत कम हो सकती थी।
- विश्व बैंक ऋण का लाभ न उठाने के कारण कंपनी को ऋण का लाभ न उठाए गए हिस्से पर फ्रंट एंड फीस के कारण ₹ 31.32 लाख[50] का परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा।

---

45 (i) प्रसारण घटक: एच.वी.पी.एन.एल. के लिए यू.एस.डी. 250 मिलियन (₹ 1,250 करोड़), (ii) द.ह.बि.वि.नि.लि. के लिए यू.एस.डी. 70 मिलियन (₹ 350 करोड़) का वितरण घटक और (iii) द.ह.बि.वि.नि.लि. तथा एच.वी.पी.एन.एल. दोनों के लिए समान हिस्से में यू.एस.डी. 10 मिलियन (₹ 50 करोड़) का तकनीकी सहायता घटक।

46 250 मिलियन यू.एस.डी. की संस्वीकृत ऋण राशि के विरूद्ध कंपनी केवल 222.83 मिलियन यू.एस.डी. का उपयोग कर सकी।

47 ₹ 64 प्रति यू.एस.डी. पर परिकलित।

48 220 के.वी. सब-स्टेशन एच.एस.आई.आई.डी.सी. राई, सोनीपत का निर्माण, राज-का-मेव में एस.एस. का निर्माण और जींद, भिवानी में 220 के.वी. तथा 66 के.वी. प्रसारण लाइनों का निर्माण।

49 विश्व बैंक के ऋण की लागत और आर.ई.सी. द्वारा प्रभारित 10 प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर का अंतर होने से तीन कार्यों के लिए क्रमशः 8.59 प्रतिशत, 7.45 प्रतिशत और 7.45 प्रतिशत की दर पर परिकलित।

50 अपफ्रंट फीस के भुगतान के समय ₹ 46.11 प्रति यू.एस.डी. की दर पर परिकलित।

प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि यह विश्व बैंक द्वारा ऋण संवितरण अवधि के विस्तारण न होने के कारण ऋण का लाभ नहीं उठा पाई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्व बैंक ने ऋण की संवितरण अवधि पहले ही तीन बार बढ़ा दी थी परंतु खराब परियोजना कार्यान्वयन के कारण कंपनी सुविधा का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाई।

2.10.3 सरकारी गारंटी पर परिहार्य व्यय

इसकी कार्यशील पूंजी अपेक्षिता को पूरी करने के लिए कंपनी को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) से 12.25 प्रतिशत ब्याज दर वाले, 36 माह की अवधि के लिए ₹ 100 करोड़ के एक मध्यावधि ऋण (एम.टी.एल.) की संस्वीकृति मिली (अगस्त 2015)। ऋण को पहले संवितरण की तिथि (अक्तूबर 2015) से शुरू करके 18 समान किश्तों में चुकाया जाना था। ऋण अनुबंध के नियम एवं शर्तों के अनुसार, पूरे ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी उपलब्ध करवाना वैकल्पिक था। यदि सरकारी गारंटी उपलब्ध करवाई जाती है, ब्याज में 0.25 प्रतिशत पर छूट उपलब्ध थी। यदि कंपनी सरकारी गारंटी प्रदान नहीं करती, आर.ई.सी. ऋण पर 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज प्रभारित कर सकता था। अत: सरकारी गारंटी के साथ ऋण 12 प्रतिशत पर उपलब्ध था और सरकारी गारंटी के बिना 12.50 प्रतिशत पर। राज्य सरकार हालांकि, गारंटी फीस के तौर पर अपफ्रंट राशि का दो प्रतिशत प्रभारित करती है। तथापि, कंपनी ने लागत लाभ विश्लेषण परिकलित किए बिना गारंटी फीस के तौर पर ₹ दो करोड़ के भुगतान पर ₹ 100 करोड़ की सरकारी गारंटी की व्यवस्था कर ली (फरवरी 2016)।

हमने अवलोकित किया कि यदि कंपनी ने सरकारी गारंटी की व्यवस्था न की होती और 12.50 प्रतिशत की दर पर उच्चतर ब्याज का भुगतान करती, तो यह फिर भी ₹ 1.47 करोड़[51] बचा सकती थी। चूंकि ऋण अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी पर वास्तविक ब्याज मानक एक से अधिक हो गया था, इसलिए कंपनी को अपनी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए ₹ 1.47 करोड़ वहन करने पड़े।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि आर.ई.सी. ने पुष्टि की है कि विषय ऋण केवल सरकारी गारंटी के विरूद्ध लिया जाना था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि आर.ई.सी. ने कंपनी से सरकारी गारंटी सुनिश्चित किए बिना किस्तों में ऋण जारी किया और सरकारी गारंटी प्रस्तुत करने तक अतिरिक्त ब्याज प्रभारित किया। इस प्रकार, प्रबंधन का निर्णय वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण नहीं था क्योंकि कंपनी ने ऋण लेने से पहले लागत लाभ विश्लेषण नहीं किया था।

2.10.4 राज्य रिएक्टिव विद्युत पूल खाते का रखरखाव न करना

एच.ई.आर.सी. ने प्राप्य और डिस्कॉम्ज को देय रिएक्टिव विद्युत भुगतान के मामले पर निर्णय करते समय कंपनी को हरियाणा विद्युत सेवाओं की ओर से एक राज्य रिएक्टिव विद्युत पूल खाता बनाए रखने और राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा में अधिशेष निधियों का निवेश करने के निदेश दिए (अगस्त 2015)। यह देखा गया था कि:

- कंपनी ने दो वर्षों तक इन निदेशों का अनुपालन नहीं किया। अगस्त 2017 में कंपनी ने एक निजी अनुसूचित बैंक, यस बैंक में विद्युत पूल खाता खोला।

[51] 34 माह के लिए 10.84 प्रतिशत की दर पर कार्यशील पूंजी ब्याज के साथ ₹ दो करोड़ की गारंटी फीस को देखते हुए 50 प्रतिशत ब्याज दर के मार्जिन की राशि और लंबित एम.टी.एल. पर परिकलित।

- पूल खाता खोलने में देरी के कारण, 2015-16 और 2016-17 के लिए डिस्कॉम्स से रिएक्टिव विद्युत मुआवजे के खाता की ₹ 30.78 करोड़ की प्राप्ति इस खाते में नहीं रखी गई परंतु इसके परिचालनों के लिए इसका प्रयोग किया गया।
- डिस्कॉम्स ने भी कंपनी को देय प्रसारण प्रभारों में से ₹ 13.95 करोड़ के अपने हिस्से का समायोजन कर लिया।

इस प्रकार, राज्य विद्युत सेवाओं द्वारा देय/प्राप्य रिएक्टिव विद्युत मुआवजे के प्रबंधन के लिए एच.ई.आर.सी. द्वारा विचारित यंत्रावली को चार वर्षों के बाद भी प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि हरियाणा सरकार उन बैंकों का पैनल अनुरक्षित कर रही थी जिनमें राशि जमा की जा सके; और उस पैनल में एक यस बैंक था। यस बैंक के पास निधियां रखने से, कंपनी ने अधिक ब्याज अर्जित किया और वर्तमान सावधि जमाओं की परिपक्वता पर, यह एच.ई.आर.सी. के दिशानिर्देशों का अनुसरण करेगी। हालांकि, कंपनी ने एच.ई.आर.सी. के निर्देशों का उल्लंघन किया है।

2.10.5 ब्याज मुक्त अग्रिम की निर्मुक्ति तथा बी.जी. शर्तों का अनुपालन न करने के कारण हानि

कंपनी ने मैसर्ज आइसोलक्स इंजेनियरिया एस.ए. स्पेन के साथ रोज-का-मियो में 220 के.वी. जी.आई.एस. सब-स्टेशन के निर्माण के लिए अनुबंध किया (फरवरी 2014) और बाद में अगस्त 2016 में इसे लाइनों के निर्माण के कार्य भी प्रदान किया ।

- एस.एस. अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर ब्याज मुक्त अग्रिम का भुगतान बैंक गारंटी (बी.जी.) प्रस्तुत करने के विरूद्ध तीन किस्तों[52] में उत्तरोत्तर किया जाना था। कंपनी को बी.जी. जारी करने वाले बैंक के पास ठेकेदार के खाते में यह भुगतान करना था। हालांकि ठेकेदार साइट कार्यालय नहीं खोल सका, लेकिन कंपनी ने मार्च/मई 2014 में छ: प्रतिशत (₹ 3.38 करोड़) के अग्रिम की तीसरी किस्त को यह बताए बिना जारी कर दिया कि सिविल कार्य बाधा मुक्त स्थल के अभाव में शुरू नहीं किए जा सके। साइट कार्यालय खोलने के बाद दो प्रतिशत अग्रिम देय के रूप में ₹ 1.12 करोड़ की दूसरी किस्त जून 2016 में जारी की गई थी। इस प्रकार, फर्म को 19 माह के लिए ₹ 3.38 करोड़ (तीसरी किस्त) की ब्याज मुक्त निधियां जारी करके अनुगृहीत किया गया था जिसकी लागत कंपनी को ₹ 58.21 लाख[53] पड़ी।
- अनुबंध प्रावधानों की छूट में, कंपनी ने अनुबंध में निर्धारित अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत के स्थान पर आठ प्रतिशत के बराबर कम की गई बी.जी. को स्वीकार किया। तदंनतर, फर्म ने शेष दो प्रतिशत बी.जी. एक अलग बैंक अर्थात् एच.डी.एफ.सी. बैंक (पहले फर्म ने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी) से प्रस्तुत की।

---

[52] अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय अनुबंध मूल्य का दो प्रतिशत, साइट कार्यालय खोलने पर दो प्रतिशत और सिविल ठेकेदार की नियुक्ति के समय छ: प्रतिशत।

[53] चूंकि कंपनी ने पहले ही कार्यशील पूंजी के लिए अपनी उधार लेने की सीमा को समाप्त कर दिया था, ब्याज एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत ब्याज दर से परिकलित किया गया।

- बी.जी. शर्तों की अवहेलना में एच.डी.एफ.सी. बैंक (बी.जी. जारी करने वाले बैंक) की बजाय सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में फर्म के खाते में भुगतान जारी किया गया था। बाद में, जब कंपनी ने ठेका रद्द किए जाने के समय बैंक गारंटी के नकदीकरण के लिए दावा (₹ 1.12 करोड़) किया (18 अगस्त 2017) तो एच.डी.एफ.सी. बैंक ने इसे इस आधार पर अमान्य कर दिया कि कंपनी ने अग्रिम फर्म के अन्य बैंक खाते में जारी किया था। यदि कंपनी ने अग्रिम जारी करने के समय बी.जी. शर्तों की अनुपालना की होती तो ₹ 1.12 करोड़ की हानि को रोका जा सकता था। प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि अग्रिम निर्मुक्त करने की शर्तें क्रमानुसार नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सिविल कार्य बाधारहित साईट की अनुपस्थिति में शुरू नहीं किए जा सके और साईट की उपलब्धता के बिना तीसरी किश्त निर्मुक्त करना ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया था।
- संबद्ध लाइन कार्य के लिए ठेका मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर ब्याज मुक्त अग्रिम का भुगतान बी.जी. के विरूद्ध बी.जी. जारी करने वाले बैंक के पास ठेकेदार के खाते में किया जाना था। बी.जी. की शर्तों की अवहेलना में कंपनी ने बी.जी. जारी करने वाले बैंक (एच.डी.एफ.सी. बैंक) की बजाय सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में फर्म के खाते में ₹ 8.45 करोड़ का अग्रिम भुगतान जारी किया (अक्तूबर तथा दिसंबर 2016)। जब, ठेका रद्द होने पर, कंपनी ने बी.जी. के नकदीकरण के लिए एच.डी.एफ.सी. बैंक में दावा प्रस्तुत किया (18 अगस्त 2017), एच.डी.एफ.सी. बैंक ने बी.जी. शर्तों की अननुपालना के आधार पर अस्वीकृत कर दिया।

इस प्रकार, बी.जी. शर्तों की अननुपालना के कारण कंपनी को ₹ 9.57 करोड़ (₹ 8.45 करोड़ + ₹ 1.12 करोड़) की हानि हुई। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि बी.जी. के नकदीकरण न होने के दोनों मामले एक ही ठेकेदार से संबंधित थे।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (मई 2020) कि अनजाने में बी.जी. शर्तों का अनुसरण नहीं किया जा सका और आगे बताया कि विभिन्न अनुबंधों के संबंध में देयों का समायोजन करने के बाद ठेकेदार से केवल ₹ 34.68 लाख वसूलनीय थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन ने ठेकेदार से वसूलनीय ₹ 31.32 करोड़ की जोखिम और लागत राशि पर विचार नहीं किया है, जिसके लिए कंपनी के पास कोई वित्तीय कवर उपलब्ध नहीं है।

2.11 टैरिफ प्रस्ताव

2.11.1 कंपनी के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित दरों पर डिस्कॉम्ज से प्रसारण प्रभारों का संग्रहण है। इसके लिए, कंपनी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर कम से कम 120 दिन पहले एच.ई.आर.सी. को सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) प्रस्तुत करना अपेक्षित है। एच.ई.आर.सी. जनता एवं अन्य हिस्सेदारों से प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार करने के बाद आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ए.आर.आर. का अनुमोदन करती है।

नीचे की तालिका 2014-19 के दौरान वर्षवार ए.आर.आर. प्रस्तुत करने के लिए देय तिथि, ए.आर.आर. प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथियां और एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदन इंगित करती है।

तालिका 2.8: ए.आर.आर. प्रस्तुत करने की देय तथा वास्तविक तिथि और एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदन की तिथियां

वर्ष	ए.आर.आर. प्रस्तुत करने की देय तिथि	ए.आर.आर. प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	प्रस्तुत करने में देरी (दिनों में)	एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदन की तिथि	प्रयोज्यता की तिथि	1 अप्रैल से दिनों में देरी
2014-15	30.11.2013	15.01.2014	45	29.05.2014	01.06.2014	61
2015-16	30.11.2014	30.12.2014	30	31.03.2015	12.04.2015	11
2016-17	30.11.2015	26.11.2015	-	31.03.2016	25.04.2016	24
2017-18	30.11.2016	30.01.2017	60	30.05.2017	10.6.2017	70

स्रोत: एच.ई.आर.सी. के टैरिफ आदेशों से संकलित सूचना।

2014-18 के दौरान चार में से तीन वर्षों में, कंपनी ने 30 से 60 दिनों की देरी के साथ अपना ए.आर.आर. फाइल किया। इसके अतिरिक्त, ए.आर.आर. को सभी चार वर्षों के संबंध में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के आरंभ से 11 से 70 दिनों की देरी के साथ अंतिम रूप दिया गया था। हालांकि कंपनी ने दीर्घ अवधि के ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं (मुख्य रूप से डिस्कॉम जिसने कंपनी के कुल ग्राहक आधार का 99.24 प्रतिशत हिस्सा है) से प्रसारण प्रभारों का बकाया वसूल किया, वही ₹ 2.40 करोड़[54] की राशि लघु अवधि के ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं[55] से वसूल नहीं की जा सकी। इसमें से ₹ 2.11 करोड़ शुद्ध रूप से कंपनी द्वारा ए.आर.आर. को देर से फाइल करने के कारण थे। एच.ई.आर.सी. के विनियमों के अनुसार लघु अवधि के ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से राजस्व, प्रसारण लागत से अधिक वसूल किया जाता है, इसलिए एच.ई.आर.सी. अनुवर्ती वर्ष की प्रसारण लागत से 75 प्रतिशत कम कर देता है और कंपनी द्वारा 25 प्रतिशत को रोककर रखने की अनुमति देता है। ए.आर.आर. फाइल करने में देरी के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर ₹ 1.58 करोड़ (₹ 2.11 करोड़ का 75 प्रतिशत) का बोझ पड़ा। ₹ 0.53 करोड़ की शेष राशि जो कंपनी द्वारा रोककर रखी जानी थी, वह भी वसूल नहीं की गई जिससे उसका लाभ कम हो गया। ए.आर.आर. फाईल करने में देरी को कंपनी की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में भी बताया गया था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (मई 2020) में ए.आर.आर प्रस्तुत करने में देरी के कई कारण बताए क्योंकि यह ए.आर.आर. तैयार करने के लिए नियुक्त सलाहकार की ओर से देरी के अलावा वित्त, आयोजना, लेखा इत्यादि जैसे अपने विभिन्न संभागों से इनपुट पर निर्भर करता है। चूंकि देरी के सभी कारण नियंत्रण करने योग्य थे, वित्तीय महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन को ए.आर.आर. समय पर प्रस्तुत करने के लिए अनुकूल कार्रवाई करनी चाहिए थी।

---

[54] 2016-17 के लिए संशोधित प्रसारण प्रभार 25 अप्रैल 2016 से प्रभावी किए गए, लेकिन प्रसारण प्रभारों में पिछले वर्ष के हिसाब से 3 पैसे की कमी थी।

[55] ओपन एक्सेस, थोक उपभोक्ता जिनके पास एक से अधिक मेगावाट का लोड जुड़ा हुआ है, उन्हें राज्य उपयोगिताओं की तुलना में अन्य स्रोतों से सस्ती बिजली खरीदने के लिए सक्षम बनाता है। एक क्रेता जिसके पास एक महीने से कम समय के लिए ओपन एक्सेस के अधिकार हैं, उसे लघु अवधि ओपन एक्सेस वाला उपभोक्ता कहा जाता है।

2.11.2 होल्डिंग लागत का दावा न करने के कारण परिहार्य वित्तीय उलझन

एच.ई.आर.सी. (मल्टी ईयर टैरिफ) विनियम 2012 के अनुसार, कंपनी द्वारा आने वाले वर्ष के लिए टैरिफ के निर्धारण, चालू वर्ष की मध्य-वर्षीय निष्पादन समीक्षा और गत वर्ष के ट्रू-अप[56] के लिए आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित था। चूंकि प्रसारण लागत को कम करने में लगभग डेढ़ वर्ष का अंतर है, इसलिए नियामक द्वारा सही लागत के साथ डेढ़ वर्ष की लागत को भी रखने की अनुमति है। यह देखा गया था:

- वर्ष 2015-16 के लिए टैरिफ के निर्धारण, 2014-15 के लिए मध्य-वर्षीय निष्पादन समीक्षा और 2013-14 के लिए ट्रू-अप हेतु कंपनी ने एच.ई.आर.सी. को दिसंबर 2014 में आवेदन प्रस्तुत किया। इसे मार्च 2015 में एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित किया गया जिसमें डेढ़ वर्ष की होल्डिंग लागत ब्याज के साथ 2013-14 के लिए ट्रू-अप लागत थी।
- कंपनी ने तथापि, वर्ष 2013-14 के अतिरिक्त ट्रू-अप के लिए समीक्षा याचना प्रस्तुत की (6 मई 2015)। एच.ई.आर.सी. ने बिना किसी होल्डिंग लागत के ₹ 38.10 करोड़ के अतिरिक्त ट्रू-अप की अनुमति (अगस्त 2015) दे दी।
- हालांकि, कंपनी ने न तो अतिरिक्त ट्रू-अप उपभोक्ताओं से वसूल किया और न ही अगस्त 2015 के तुरंत बाद होल्डिंग लागत के साथ अतिरिक्त ट्रू-अप की वसूली की अनुमति का मामला एच.ई.आर.सी. के साथ उठाया।
- कंपनी ने देरी से होल्डिंग लागत के साथ ₹ 38.10 करोड़ का अतिरिक्त ट्रू-अप लागत का दावा किया। एच.ई.आर.सी. ने 2018-19 के लिए प्रसारण टैरिफ के साथ केवल ढ़ाई वर्षों के लिए ₹ 8.67 करोड़[57] की होल्डिंग लागत के साथ ₹ 38.10 करोड़ वसूल करने की अनुमति दे दी (मार्च 2018)।
- चूंकि 2013-14 के लिए अतिरिक्त ट्रू-अप 2018-19 के लिए प्रसारण टैरिफ के साथ अनुमत था, साढ़े चार वर्ष[58] के लिए होल्डिंग लागत देय थी। हालांकि, एच.ई.आर.सी. ने माना कि यह कंपनी की ओर से गलती थी और तदनुसार, इसने केवल ढ़ाई वर्षों के लिए होल्डिंग लागत की अनुमति दी।

इसके परिणामस्वरूप कंपनी पर ₹ 8.27 करोड़[59] का वित्तीय प्रभाव पड़ा जिसका परिहार किया जा सकता था, यदि कंपनी अगस्त 2015 के बाद तुरंत अतिरिक्त ट्रू-अप लागत की वसूली कर लेती और होल्डिंग लागत का दावा अलग से करती। इसका प्रभाव कंपनी को उठाना पड़ा जिससे उसका लाभ कम हो गया।

---

[56] वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले एच.ई.आर.सी. पिछले वर्ष के लिए अनुमानित डाटा पर आधारित वर्ष के लिए टैरिफ अनुमोदित करती है जो बैलेंस शीट के अंतिमकरण के बाद आगामी वर्षों में संशोधित किया जाता है। वास्तविक डाटा की प्राप्ति के बाद टैरिफ के संशोधन को ट्रू-अप कहा जाता है और इस संशोधन का प्रभाव उस वर्ष में कार्यान्वित किया जाता है जिसमें इसे अंतिमकृत किया जाता है।

[57] ₹ 3.81 करोड़ (10 प्रतिशत की दर पर 2016-17 के लिए होल्डिंग लागत जमा ₹ 4.86 करोड़ 8.5 प्रतिशत की दर पर डेढ़ वर्ष के लिए)।

[58] 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 तथा 2018-19 का आधा वर्ष जिसमें वसूली की जानी थी।

[59] ₹ 38.10 करोड़ कार्यशील पूंजी पर एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत ब्याज की दर अर्थात् 2014-15 और 2015-16 के लिए 10.85 प्रतिशत प्रति वर्ष पर परिकलित।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2020) कि 2015-16 की अवधि के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा इस राशि को गलत तरीके से घटाया गया था। 15 मार्च 2018 के आदेशों के माध्यम से एच.ई.आर.सी. ने त्रुटि स्वीकार की और ₹ 38.10 करोड़ की वसूली की अनुमति दी। उत्तर सही नहीं है क्योंकि एच.ई.आर.सी. ने 15 मार्च 2018 को अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि यह कंपनी की ओर से एक त्रुटि थी और उसने केवल ढाई साल के लिए होल्डिंग लागत के साथ ₹ 38.10 करोड़ वसूल करने की अनुमति दी। हालांकि, होल्डिंग लागत का दावा न करने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया था।

2.11.3 अक्षम अनुबंध प्रबंधन

अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ए.ई.एल.) ने टैरिफ आधारित बोली रूट के माध्यम से मुंदरा गुजरात में इसके 4,620 एम.डब्ल्यू. मुंदरा थर्मल विद्युत स्टेशन से 1,424 एम.डब्ल्यू. विद्युत की आपूर्ति के लिए हरियाणा डिस्कॉम्स, यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. के साथ एक विद्युत खरीद अनुबंध (पी.पी.ए.) किया (अगस्त 2008)। विद्युत की निकासी के लिए ए.ई.एल. ने एक 2,500 एम.डब्ल्यू. समर्पित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट द्वि-पोल प्रसारण लाइन अर्थात मुंदरा-महेंद्रगढ़ का निर्माण किया।

- ए.ई.एल. ने उपर्युक्त समर्पित लाइन को अंतर्राज्यीय प्रसारण प्रणाली (आई.एस.टी.एस.) में परिवर्तित करने के लिए प्रसारण लाईसेंस प्रदान करने के लिए सी.ई.आर.सी. को याचिका प्रस्तुत कर दी (सितंबर 2012) जो प्रदान किया गया था (जून 2013)।
- हरियाणा विद्युत उपयोगिताओं ने हरियाणा सरकार के साथ परामर्श से सी.ई.आर.सी. को अनुरोध किया (जुलाई 2013) कि समर्पित प्रसारण लाइन के आई.एस.टी.एस. में परिवर्तित होने के कारण इस लाइन के प्रयोग के लिए उन पर प्वाइंट आफ कनेक्शन (पी.ओ.सी.)[60] प्रभारों का कोई दावा नहीं किया जाएगा। हालांकि, सी.ई.आर.सी. ने आदेश दिया (जून 2013) कि प्रसारण लाइसेंसधारी केवल हरियाणा की अनुबंधित क्षमता 1,424 मेगावाट के अनुरूप प्रसारण प्रभार वहन करेगा।

यह अवलोकित किया गया था कि कंपनी ने (राज्य के पी.ओ.सी. संबंधी मामलों से निपटने के लिए उत्तरदायी होने के नाते) इस तथ्य के बावजूद कि अतिरिक्त क्षमता सहित प्रसारण लाइन की पूरी लागत पहले से ही टैरिफ में लागू थी, राज्य की लाइन पर आई.एस.टी.एस. भाग (1,005 मेगावाट) पर पी.ओ.सी. प्रभारों के निहितार्थ के मुद्दे पर विचार नहीं किया।

2.11.4 कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज के लिए मानकों का पालन न करना

एच.ई.आर.सी. (एम.वाई.टी.) विनियम 2012 के अनुसार, कार्यशील पूंजी[61] पर ब्याज मानक आधार पर अनुमत किया जाना था। तालिका 31 मार्च 2019 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान

---

[60] पी.ओ.सी. अंतर्राज्यीय प्रसारण प्रणाली के उपयोग पर आधारित पैन भारत अंतर्राज्यीय प्रसारण प्रभारों के संवितरण के लिए आधार है।

[61] कार्यशील पूंजी में से एक माह के मानक परिचालन एवं प्रबंधन व्यय (ii) परिचालन एवं प्रबंधन व्ययों के 15 प्रतिशत के बराबर रख-रखाव आधिक्य और (iii) मानक लक्ष्य उपलब्धता पर परिकलित एक माह की निश्चित लागत के बराबर प्राप्ति योग्य।

कंपनी द्वारा स्वीकृत और वास्तव में ब्याज की लागत के वर्षवार विवरण को इंगित करती है:

तालिका 2.9: एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत और कार्यशील पूंजी पर वास्तव में ब्याज

वर्ष	एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत कार्यशील पूंजी पर ब्याज	कार्यशील पूंजी पर वास्तव में ब्याज	एच.ई.आर.सी. द्वारा अननुमत राशि
2014-15	19.10	46.73	27.63
2015-16	23.14	39.81	16.67
2016-17	21.20	21.20	--
2017-18	23.93	23.93	--
2018-19	27.75	25.51	--
कुल	**115.12**	**157.18**	**44.30**

स्रोत: एच.ई.आर.सी. द्वारा टैरिफ आदेशों से संकलित सूचना।

यह अवलोकित किया गया था:

- कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का दक्षतापूर्ण प्रबंध करने में समर्थ नहीं थी और इसके परिणामस्वरूप यह ₹ 44.30 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं कर सकी, हालांकि टैरिफ के रूप में यह 2014-19 के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत मानदंडों से अधिक था। इससे इसकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- कंपनी ने पूंजीगत व्यय ऋण पर ब्याज के रूप में आर.ई.सी. (अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए) से प्राप्त मध्यम अवधि के ऋण पर अनुचित रूप से ब्याज का दावा किया। इसके परिणामस्वरूप, पूंजीगत व्यय ऋण पर ₹ 16.64 करोड़ से अधिक ब्याज का दावा किया गया। यदि यह कार्यशील पूंजी पर ब्याज के रूप में दावा करती, तो इसे अस्वीकृत कर दिया जाता, क्योंकि कंपनी पहले ही अपनी कार्यशील पूंजी की सीमा समाप्त कर चुकी है। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर ₹ 16.64 करोड़ का अधिक बोझ पड़ा।

प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि इसने हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी की विलंबित निर्मुक्ति के कारण अंतर को पाटने के लिए एम.टी.एल. का दावा पूंजीगत व्यय में किया। आगे, ऋण कार्यशील पूंजी ऋण की बजाय पूंजीगत व्यय ऋण के अंतर को पाटने के लिए लिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आर.ई.सी. के दस्तावेजों के अनुसार यह कार्यशील पूंजी ऋण था और कंपनी ने ए.आर.आर. में तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण किया था।

2.11.5 उपभोक्ताओं को लाभ न देना

(क) एच.ई.आर.सी. (प्रसारण टैरिफ के निर्धारण के नियम एवं शर्तें) विनियम 2008 के अनुसार, कंपनी को ऋण की वापसी के लिए वास्तविक अवमूल्यन से ऊपर अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम (ए.ए.डी.) के लिए अनुमति थी। मूल्यह्रास दरों में संशोधन के मद्देनजर, इन विनियमों को रद्द कर दिया गया और एच.ई.आर.सी. (एम.वाई.टी.) 2012 के साथ बदल दिया गया, जिसमें ए.ए.डी. संबंधी प्रावधान नहीं था। तदनुसार, एच.ई.आर.सी. ने 2012-13 के बाद ए.ए.डी. की अनुमति नहीं दी।

- कंपनी के वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखाओं के अनुसार, एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत ए.ए.डी. ₹ 182.34 करोड़ था जिसे भावी वर्षों में अवमूल्यन के विरूद्ध

समायोजित किया जाना था। तथापि, 2014-15 के दौरान कंपनी ने सामान्य रिजर्व में ₹ 182.34 करोड़ राशि का ए.ए.डी. इस आधार पर हस्तांतरित किया कि एच.ई.आर.सी. (एम.वाई.टी.) 2012 के विनियमों में ए.ए.डी. का कोई प्रावधान नहीं था।

- चूंकि ए.ए.डी. सामान्य अवमूल्यन से अधिक टैरिफ के माध्यम से पहले ही वसूल कर लिया गया था, उसे आगामी वर्षों में अवमूल्यन शीर्ष में समायोजित किया जाना चाहिए था और लाभ उपभोक्ताओं को प्रदान किया जाना था।
- हालांकि एच.ई.आर.सी. ने टैरिफ के माध्यम से मूल्यह्रास के विरूद्ध ₹ 144.69 करोड़ (वित्त वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 61.19 करोड़, ₹ 41.75 करोड़ और ₹ 41.75 करोड़) की राशि के ए.ए.डी. को समायोजित किया, किंतु एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत ₹ 37.65 करोड़ की राशि (नवंबर 2012) अब तक (मई 2020) उपभोक्ताओं को नहीं दी गई है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार किया। इस प्रकार, उपभोक्ताओं को ₹ 37.65 करोड़ के लाभ से वंचित किया गया।

(ख) कंपनी ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से कार्यशील पूंजी ऋण लिए थे (2001), जिन पर ब्याज की अनुमति एच.ई.आर.सी. द्वारा 2008-09 तक दी जा रही थी। तथापि, वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए ए.आर.आर. अनुमोदित करते समय एच.ई.आर.सी. ने उक्त ऋण पर ब्याज लागत यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया (मई 2009) कि ब्याज और ऋण की पूरी वापसी की अनुमति 2008-09 के दौरान पहले ही दी जा चुकी है।

- चूंकि कंपनी ब्याज माफी के लिए अनुसरण कर रही थी और ऋण पर ब्याज का भुगतान नहीं कर रही थी, एच.ई.आर.सी. ने कंपनी को इस ऋण पर पहले ही अर्जित ब्याज की माफी के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया (अप्रैल 2010) ताकि इसे आगामी वर्षों में समायोजित किया जा सके।
- यद्यपि, एच.ई.आर.सी. ने 2009-18 के दौरान इस ऋण पर ब्याज अस्वीकार करना जारी रखा, कंपनी ने लेखाओं की किताबों में इस अवधि के दौरान ₹ 45.43 करोड़ की ब्याज देयता दर्ज की।
- 2017-18 के दौरान, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने ₹ 80.42 करोड़ का लंबित ब्याज माफ कर दिया तथापि, जैसा कि निदेश था, कंपनी ने एच.ई.आर.सी. को इस बारे में सूचित नहीं किया। परिणामस्वरूप ₹ 34.99 करोड़ (₹ 80.42 करोड़ - ₹ 45.43 करोड़) का लाभ जिसकी अनुमति 2008-09 से पहले दी गई थी, उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा सका जिन पर अनुचित बोझ पड़ा।

प्रबंधन ने उत्तर में बताया (मई 2020) कि कार्यशील पूंजी पर ब्याज की अनुमति नियामक आधार पर थी, अत: अनुमत राशि देय नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ब्याज व्यय ए.आर.आर. के माध्यम से वसूल कर रही थी, अत: उसके बाद किसी भी ब्याज माफी का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए था। आगे, कंपनी ने एच.ई.आर.सी. के निर्दिष्ट निर्देश के बावजूद इस बारे में उसे सूचित नहीं किया।

2.12 लेखापरीक्षा परिणामों का प्रभाव

2.12.1 उपभोक्ताओं पर अत्यधिक भार

एच.ई.आर.सी., कंपनी द्वारा ए.आर.आर. के माध्यम से फाइल की गई कुल प्रसारण लागत के आधार पर टैरिफ की अनुमति देता है। इसलिए, कंपनी की ओर से अक्षमताओं के कारण किसी भी अनुचित दावे और उनकी बाद की गैर-आवश्यकता/छूट पर पूर्ववर्ती वर्षों में टैरिफ के माध्यम से एच.ई.आर.सी. द्वारा पहले ही अनुमत प्रसारण लागत घटकों के लाभ न देने के परिणामस्वरूप अधिक टैरिफ के जरिए उपभोक्ता पर अनुचित भार पड़ा। 2014-19 के दौरान, हरियाणा के उपभोक्ताओं पर ₹ 168.64 करोड़ का अधिक भार डाला गया था जैसाकि नीचे विस्तृत रूप में बताया गया है:

- कंपनी सब-स्टेशनों और संबंधित प्रसारण लाइनों के समकालिक समापन को सुनिश्चित नहीं कर सकी, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर ₹ 67.33 करोड़ का अधिक भार पड़ा (अनुच्छेद 2.7.2.1 और 2.7.2.2)।
- ट्रांसफार्मरों की मरम्मत में देरी और सब-स्टेशनों के कम उपयोग के कारण उपभोक्ताओं पर ₹ 6.71 करोड़ का भार पड़ा (अनुच्छेद 2.8.2)।
- सहभागी बिजली उपयोगिताओं के साथ खराब समन्वय के कारण उपभोक्ताओं पर ₹ 3.74 करोड़ का भार पड़ा (अनुच्छेद 2.9)।
- ए.आर.आर. फाइल करने में देरी के कारण लघु अवधि के ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से ₹ 2.11 करोड़ की राशि वसूल नहीं की जा सकी, फलस्वरूप एच.ई.आर.सी. के नियमों के अनुसार उपभोक्ताओं को ₹ 1.58 करोड़ (75 प्रतिशत) का लाभ नहीं दिया जा सका (अनुच्छेद 2.11.1)।
- उपभोक्ता पर ₹ 16.64 करोड़ का भार था क्योंकि कंपनी ने पूंजीगत व्यय ऋण पर ब्याज के रूप में कार्यशील पूंजी पर अनुचित रूप से ब्याज का दावा किया (अनुच्छेद 2.11.4)।
- उपभोक्ताओं को ₹ 72.64 करोड़ के ए.ए.डी. के लाभ और ब्याज माफी प्रदान न करना (अनुच्छेद 2.11.5)।

2.12.2 कंपनी की लाभप्रदता में कमी

कंपनी की ओर से अक्षमताओं, जिनका भार उपभोक्ताओं पर डाला गया था, के अतिरिक्त कुछ अन्य अक्षमताएं थीं, जिन्होंने उपभोक्ताओं को प्रभावित नहीं किया, लेकिन 2014-19 के दौरान कंपनी के राजस्व और लाभप्रदता में ₹ 70.08 करोड़ की कमी हुई जैसाकि नीचे विस्तृत रूप में बताया गया है:

- टी.एस.ए. की अप्राप्ति से लाभ में ₹ 15.51 करोड़ की कमी हुई (अनुच्छेद 2.8.3)।
- लागत लाभ विश्लेषण किए बिना सरकारी गारंटी के विरूद्ध मध्यावधि ऋण लेने से ₹ 1.47 करोड़ के ब्याज का अतिरिक्त भार पड़ा (अनुच्छेद 2.10.3)।
- ए.आर.आर. के देरी से फाइल करने के परिणामस्वरूप अल्पावधि ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से ₹ 0.53 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की वसूली नहीं हुई (अनुच्छेद 2.11.1)।

- समय पर धारण लागत का दावा न करने से इसकी लाभप्रदता पर ₹ 8.27 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा (अनुच्छेद 2.11.2)।
- कार्यशील पूंजी मानदंडों का पालन न करने के परिणामस्वरूप टैरिफ के माध्यम से ₹ 44.30 करोड़ की वसूली नहीं हुई, जिससे इसकी लाभप्रदता कम हो गई (अनुच्छेद 2.11.4)।

2.12.3 पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की स्थिति और वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा का हिस्सा न बनना

कंपनी ने पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निम्नलिखित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संबंध में अपने निष्पादन में सुधार किया:

- कंपनी का प्रसारण घाटा 2014-15 के दौरान 2.62 प्रतिशत से घटकर 2018-19 के दौरान 2.05 प्रतिशत हो गया और 2017-19 के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से भी कम था।
- 2014-19 के दौरान पूंजीगत व्यय पर कोई ब्याज निषेध नहीं था।
- कंपनी ने नियमित रूप से रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों का दावा किया था।

निष्कर्ष

देरी के साथ बिजली उप-स्टेशनों के पूरा होने के संदर्भ में कंपनी की परियोजना योजना और निष्पादन खराब था। इसके पीछे पूर्व परियोजना गतिविधियां जैसे कि भूमि का अधिग्रहण, साइट सौंपना, ठेकेदारों को अनुमोदित ड्राईंग्स प्रदान करना, वन मंजूरी और अनुबंध के अनुसार दोषी ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई न करना आदि प्रमुख कारक थे।

कंपनी सब-स्टेशनों संबंद्ध प्रसारण लाइनों की पूर्णता एक साथ सुनिश्चित नहीं कर सकी जिसके परिणामस्वरूप संबंद्ध कार्य की पूर्णता तक पूर्ण कार्य का उपयोग नहीं हुआ। कंपनी ने 2014-19 के दौरान पंजाब और राजस्थान की तुलना में उच्च प्रसारण लागत वहन की। कंपनी द्वारा परियोजना लागत को कम करने के लिए सब-स्टेशनों और प्रसारण लाइनों का समय पर चालूकरण सुनिश्चित करके, विभिन्न खातों पर की गई अतिरिक्त लागत को नियंत्रित करके और विश्व बैंक के सस्ते ऋण का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करके प्रसारण लागत को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एच.ई.आर.सी. को देरी के साथ ए.आर.आर. फाइल किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रसारण प्रभारों की वसूली नहीं हुई।

सब-स्टेशनों और प्रसारण लाइनों की गैर-तुल्यकालिक कमीशनिंग, प्रसारण क्षमता के कम उपयोग, उपभोक्ताओं को मूल्यह्रास और ब्याज माफी के विरूद्ध अग्रिम के लाभ प्रदान न करने के कारण कंपनी की अक्षमता हेतु 2014-19 के दौरान उपभोक्ताओं पर ₹ 168.64 करोड़ का अनुचित भार डाला गया। इसके अतिरिक्त, टैरिफ में आयोग द्वारा ₹ 70.08 करोड़ की राशि को अस्वीकृत कर दिया गया था, जिसे कंपनी द्वारा अपनी लाभप्रदता को कम करके वहन किया जाना था। चूंकि लेखापरीक्षा परिणाम अभिलेखों की नमूना-जांच पर आधारित हैं, यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी परिचालन के सभी क्षेत्रों में जांच शुरू करे और इसकी दक्षता एवं लाभप्रदता में सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय करे।

सिफारिशें

उपर्युक्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर हम सिफारिश करते हैं कि कंपनी:

- परियोजना की गतिविधियों के विभिन्न चरणों में निश्चित समयसीमा का पालन करने के लिए परियोजना नियोजन की प्रणाली को कारगर बनाए और परियोजना के संबंध में कोई वित्तीय प्रतिबद्धता बनाने से पहले भूमि की आवश्यक मंजूरी और भौतिक कब्जा सुनिश्चित करे;
- उचित योजना और निगरानी के माध्यम से सब-स्टेशनों और लाइनों का समन्वित चालूकरण सुनिश्चित करना, और दोषी ठेकेदारों के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों को लागू करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई शुरू करे;
- पॉवर ट्रांसफार्मर एवं अन्य प्रसारण उपकरणों की क्षति दर को कम करने और लगातार आधार पर प्रसारण प्रणाली की उपलब्धता में सुधार करने के लिए उनके निवारक रख-रखाव और मरम्मत के लिए मजबूत प्रणाली स्थापित करे;
- तुलनात्मक रूप से सस्ते वित्तपोषण विकल्पों का पूर्ण उपयोग, परिश्रम लागत उधार लेने में लाभ विश्लेषण और लाभप्रदता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए अपने वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करे;
- परियोजना और वित्तीय प्रबंधन में अक्षमताओं को नियंत्रित करके अपनी प्रसारण लागत को कम करे, और बिजली के निर्बाध बहाव को सुनिश्चित करने के लिए वितरण उपयोगिताओं के साथ समन्वय बढ़ाए;
- एच.ई.आर.सी. के पास सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) को समय पर प्रस्तुतिकरण और प्रसारण प्रभारों की वसूली सुनिश्चित करे;
- उपभोक्ताओं के हितों में संतुलन और निवेश की आवश्यकता के लिए राष्ट्रीय विद्युत नीति के उद्देश्य की तर्ज पर कंपनी और हरियाणा सरकार डिस्कॉम/हरियाणा विद्युत् विनियामक आयोग के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करे कि राज्य उपभोक्ताओं पर विद्युत सेवाओं की कमियों का अनुचित भार न पड़े।

मामला सरकार के पास भेजा गया (फरवरी 2020), उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 2020)।